लैव्यव्यवस्था

होमबलि के नियम

1 यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बलाया और मिलापवाले तम्बू में
से उससे बोला। यहोवा ने कहा, 2 "इस्राएल के लोगों से कहो: तुम
लोगों में से कोई जब यहोवा को भेट लाए तो वह भेंट तुम्हें उन
जानवरों में से लानी चाहिये जो तुमाहेरे झुण्ड या रेवड़ में से हो।
3 "यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं में से किसी की होमबलि दे
तो वह नर होना चाहिए और उस जानवर में कोई दोष नहीं होना
चाहिए। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह जानवर को मिलापवाले
तम्बू के द्वार पर ले जाये। तब यहोव भेंट स्वीकार करेगा। 4 इस
व्यक्ति को अपना हाथ जानवर के सिर पर रखना चाहिए। परमेश्वर
होमबिल को व्यक्ति के पाप के लिए भुगतान के रुप में स्वीकार
करेगा।
5 "व्यक्ति को चाहिए कि वह बछड़े का खून पर चारों ओर खून
छिड़कना चाहिए। 6 वह उस जानवर का चमड़ा हटा देगा और उसे
टुकड़ों में काटेगा। 7 हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर लकड़ी
और आग रखनी चाहिए। 8 हारून के याजक पुत्रों को वे टुकड़े,
(सिर और चर्बी) लकड़ी पर रखनी चाहिए। वह लकड़ी वेदी पर
आग के ऊपर होती है। 9 याजक को जानवर के भीतरी भागों और
पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवर के सभी
भागों को वेदी पर जलाना चाहिए। यही होमबलि है अर्थात आग
के द्वारा यहोवा को सुगन्ध से प्रसन्न करना।
10 "यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी की होमबलि चढ़ाए तो वह
एक ऐसे नर पशु की भेंट दे जिसमें कोई दोष न हो। 11 उस व्यक्ति
को वेदी के उत्तर की ओर यहोवा के सामने पशु को मारना चाहिए।
हारून के याजक पुत्रों को वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए।

12 तब याजक को चाहिए कि वह पशु को टुकड़ों में काटे। पशु का
सिर और चर्बी याजक को लकड़ी के ऊपर क्रम से रखना चाहिए।
लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर रहती है। 13 याजक को पशु के भीतरी
भागों और उसके पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को
चाहिए कि वह पशु के सभी भागों को वेदी पर जलाएँ। यह होमबलि
है अर्थात् आग के द्वारा यहोवा को सुगन्ध से प्रसन्न करना।

14 "यदि कोई व्यक्ति यहोवा को पक्षी की होमबलि चढ़ाए तो
यह पक्षी की होमबलि चढ़ाए तो यह पक्षी फाख्ता या नया कबूतर
होना चाहिए। 15 याजक बेंट को वेदी कपर लाएगा। याजक पक्षी
को वेदी पर जलाएगा। पक्षी का खून वेदी की ओर बहना चाहिए।
16 याजक को पक्षी के गले की थैली और उसके पंखों को वेदी के
पूर्व की ओर फेंक देना चाहिए। यह वही जगह है जहाँ वे वेदी से
निकालकर राख डालते हैं। 17 तब याजक को पंख के पास से पक्षी
को चीरना चाहिए किन्तु पक्षी को दो भागों ने नहीं बाँटना चाहिए।
याजक को वेदी के ऊपर आग पर रखी लकड़ी के ऊपर पक्षी को
जलाना चाहिए। यह होमबलि है अर्थात् आग के द्वारा यहोवा को
सुगन्ध से प्रसन्न करना।

2

अन्नबलि के नियम

1 "जब कोई व्यक्ति यहोवा को अन्नबलि चढ़ाये तो उसकी भेंट
महीन आटे की होनी चाहिए। वह व्यक्ति उस आटे पर तेल डाले
और उस पर लोबान रखे। 2 तब वह इसे हारून के याजक पुत्रों के
पास लाए। वह व्यक्ति तेल और लोबान से मिला हुआ एक मुट्ठी
महीन आटा ले तब योजक वेदी पर स्मृतिभेंट के रूप में आटे को
आग में जलाए। यह यहोवा के लिये सुगन्ध होगी 3 और बची हुई
अन्नबलि हारून और उसके पुत्रों के लिए होगी। यह भेंट यहोवा को
आग से दी जाने वाली भेंटों में सबसे अधिक पवित्र होगी।

चूल्हे में पकी अन्नबलि के नियम

4 “जब तुम चूल्हे मं पकी अन्नबलि लाओ तो यह अख़मीरी मैदे के
फुलके या ऊपर से तेल डाली हुई अख़मीरी चपातियाँ होनी चाहिए।
5 यदि तुम भूनने की कड़ाही से अन्नबलि लाते हो तो यह तेल मिली
अख़मीरी महीन आटे की होनी चाहिए। 6 तुम्हे इसे कई टुकड़े करके
कई भागों में बाँटना चाहिए और इन पर तेल डालना चाहिए। यह
अन्नबलि है। 7 यदि तुम अन्नबलि तलने की कड़ाही से लाते हो तो
यह तेल मिले महीन आटे की होनी चाहिए।

8 “तुम इन चीजो से बनी अन्नबलि यहोवा के लिओ लाओगे।
तुन उन चीजों को याजक के पास ले जाओगे औ वह उन्हें वैदी पर
रखेगा। 9 फिर उस अन्नबलि में से याजक इसका कुछ भाग लेकर
उसे स्मृति भेंट के रूप में वेदी पर जलायेगा। यह आग द्वारा दी गई
एक भेंट है। इस की सुगन्ध से यहोवा प्रसन्न होता है। 10 बची हुई
अन्नबलि हारून और उसके पुत्रों की होगी। यह भेंट यहोवा को
आग से चढ़ाई जाने वाली भेंटों में अति पवित्र होगी।

11 “तुम्हें यहोवा को खमीर वाली कोई अन्नबलि नहीं चढ़ानी
चाहिए। तुम्हें यहोवा को, आग द्वारा भेंट के रूप में ख़मीर या शहद
नहीं जलाना चाहिए। 12 तुम पहली फ़सल से तैयाह की गई खमीर
और शहद मधुर गन्ध के रूप में ऊपर जाने के लिए वैदी पर जलाने
नहीं चाहिए। 13 तुम्हें अपनी लायी हुई हर एक अन्नबलि पर नमक
भी रखना चाहिए। यहोवा से तुम्हारे वाचा के प्रतीक रूप, नमक का
अभाव तुम्हारी किसी अन्नबलि में नहीं होना चाहिए। तुम्हें अनपी
सभी भेटों के साथ नमक लाना चाहिए।

पहली फ़सल से अन्नबलि के नियम

14 “यदि तुम पहली फ़सल से यहोवा को अन्नबलि लाते हो तो
तुम्हें भुनी हुई अन्न की बालें लानी चाहिए। इस अन्न को दलकर छोटे
टुकड़ों में तोड़ा जाना चाहिए। इस पहली फसल से तुम्हारी अन्नबलि

होगी। 15 तुम्हें इस पर तेल डालना और लोबान रखना चाहिए। यह
अन्नबलि है। 16 याजक को चाहिए कि वह स्मृति भेंटके रूप में दले
गए अन्न के कुछ भाग, तेल और इस पर रखे पूरे लोबान को जलाए।
यह यहोवा को आग से चढ़ाई भेंट है।

3

मेलबलि के नियम

1 "यदि यह भेंट मेलबलि है और यह यहोवा को अपने पशुओं
के झुण्ड से एक नर या मादा पशु देता है, तो इस पशु में कोई दोष
नहीं होना चाहिए। 2 इस व्यक्ति को अनपा हाथ पशु के सिर पर
रखना चाहिए। मिलापवाले तुम्बू के द्वार पर उस व्यक्ति द्वारा उस
पशु को मार डालना चाहिए। तब हारून के याजक पुत्रों को वेदी
पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। 3 इस व्यक्ति को मेलबलि
में से यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ानी चाहिए। भीतरी भागों को
ढकने वाली और भीतरी भागों में रहने वाली चर्बी की भेंट चढ़ानी
चाहिए। 4 उस के दोनों गुर्दों पर की चर्बी और पुट्ठे* की चर्बी भी
भेंट में चढ़ानी चाहिए। गुर्दों के सात कलेजे को ढकने वाली चर्बी
भी निकाल लेनी चाहिए। 5 तब हारून के पुत्र चर्बी को वेदी पर
जलाएंगे। वे आग पर रखी हुई लकड़ी, जिस पर होमबलि रखी गी,
उसके ऊपर उसे रखेंगे। इस की सुगन्ध यहोवा को प्रसन्न करती है।
6 "यदि व्यक्ति यहोवा के लिए अपनी रेवड़ में से मेलबलि के
रूप में पशु को लाता है, तब उसे एक नर या मादा पशु भेंट में देना
चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। 7 यदि वह भेंट में एक मेमना लाता
है तो उसे यहोवा के सामने लाना चाहिए। 8 उसे अपना हाथ पशु के
सिर पर रखाना चाहिए हारून के पुत्र वेदी पर चारों ओर पशु का
खून जालेंगे। 9 तब वह व्यक्ति मेलबलि का एक भाग यहोवा को
आग द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाएगा। इस व्यक्ति को चर्बी और चर्बी

* **3:4:** पुट्ठे पशु की पसली के पिछली से लेकर उसकी पिछली टाँगों तक का भाग।

से भरी सम्पूर्ण पूँछ और पशु के भीतरी भागों के ऊपर और चारों
ओर की चर्बी लानी चाहिए। (उसे उस पूँछ को रीढ़ की हड्डी के
एकदम पास से काटना चाहिए।) 10 इस व्यक्ति को दोनों गुर्दे और
उन्हें ढकने वाली चर्बी और पुट्ठे की चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए।
उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहीए। उसे
गुर्दों के साथ कलेजे को भी निकाल लेना चाहिए। 11 तब याजक
वेदी पर इस को जलाएगा। यह यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट
होगी तथा यह लोगों के लिए भी भोजन होगी।

12 “यदि किसी व्यक्ति की भेंट एक बकरा है तो वह उसे यहोवा
के सामने भेंट करे। 13 इस व्यक्ति को बकरे के सिर पर हाथ रखना
चाहिए। तब हारून के पुत्र बकरे का खून वेदी पर चारों ओर जालेंगे।
14 तब व्यक्ति को बकरे का एक भाग यहोवा को अग्नि द्वारा भेंट के
रूप में चढ़ाने के लिए लाना चाहिए। इस व्यक्ति को भीतरी भाग के
ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी की भेंट चढ़ानी चाहिए। 15 उशे
दोनों गुर्दे उसे ढकने वाली चर्बी तथा पशु के पुट्ठे की चर्बी भेंट में
चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को ढकलने वाली चर्बी चढ़ानी चाहिए।
उसे कलेजे के साथ गुर्दे को निकाल लेना चाहिए। 16 याजक को
वेदी पर बकरे के भागों को जलाना चाहिए। यह यहोवा को आग
द्वारा दी गई भेंट तथा याजक का भोजन होगा। इसकी सुगन्ध यहोवा
को प्रसन्न करती है। (लेकिन सारा उत्तम भाग यहोवा का है।) 17 यह
नियम तुम्हारी सभी पीढ़ीयों में सदा चलता रहेगा। तुम जहाँ कहीं
भी रहो, तुम्हें खून या चर्बी नहीं खानी चाहिए।”

4

संयोगवश हुए पापों के लिए पापबलि के नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “इस्राएल के लोगों से कहोः यदि
किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे यहोवा ने
न करने का आदेश दिया हो तो उस व्यक्ति को निम्न बातें करनी
चाहिए:

3 “यदि अभीषित्त याजक से कोई ऐसा पाप हुआ हो जसका
बुरा असर लोगों पर पड़ा हो तो उसे अपने किए गए पाप के लिए
यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए: उसे एक बछड़ा यहोवा को भेंट
में देना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। उसे यहोवा को बछड़ा
पापबलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। 4 अभिषिक्त याजक को उस
बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाना
चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखाना चाहिए और
यहोहा के सामने उसे मार देना चाहिए। 5 तब अभिषिक्त याजक
को बछड़े का कुच खून लेना चाहिए और मिलापवले तम्बू में ले
जाना चाहिए। 6 याजक को अपनी उँगलियाँ खून में डालनी चाहिए
और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को सात बार परमेश्वर
के सामने छिड़कना चाहिए। 7 याजक को कुछ खून सुगन्धित धूप
की वेदी के सिरे पर लगाना चाहिए। (यह वेदी यहोवा के सामने
मिलापवाले तम्बू में है।) याजक को बछड़े का सारा ख़ून होमबलि
की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। (वह वेदी मिलापवले तम्बू के
द्वार पर है।) 8 औ उसे पापबलि किए गए बछड़े की सारी चर्बी को
निकाल लेना चाहिए। उसे भीतरी भागों के ऊपर और उसके चारों
ओर की चर्बी को निकाल लेनी चाहिए। 9 उसे दोनों गुर्दे, उसके
ऊपर की चर्बी और पुट्ठे पर की चर्बी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे
को ढकने वाली चर्बी भी लेनी चाहिये और उसे कलेजे को गुर्दे
के साथ निकाल लेना चाहिए। 10 याजक को ये चीजें ठीक उसी
तरह लेनी चाहिए जिस प्रकार उसने ये चीजें मेलबलि के बछड़े
से ली थी।* याजक को होमबलि की वेदी पर पशु के भागों को
जलाना चाहिए। 11-12 किन्तु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर
सहित इसका सारा माँस, पैर, भीतरी भाग और शरीर का बेकार
भाग निकल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान
पर बछड़े के पूरे शरीर को लेजाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती

* **4:10:** जिस प्रकार … ली थी देखें लैव्य. 3:1-5

है। याजक को वहाँ लकड़ी की आग पर बछड़े को जलान चाहिए।
बछड़े को वहाँ जलाय जाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती हैं।

13 "ऐसा हो सकता है कि पूरे इस्राएल राष्ट्र से अनजाने में कोई
ऐसा पाप हो जाए जिसे न करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। यदि
ऐसा होता है तो वे दोषी होंगे। 14 यदि उन्हें इस पाप का पता चलता
है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बछड़ा पापबलि के रूप में चढ़ाया
जाना चाहिए। उन्हें बछड़े को मिलापवाले तम्बू के सामने लाना
चाहिए। 15 बुजुर्गों को यहोवा के सामने बछड़े के सिर पर अपने
हाथ रखने चाहिए। यहोवा के सामने बछड़े को मारना चाहिए।
16 तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून मिलापवले तम्बू में
लाना चाहिए। 17 याजक को अपनी उँगलियाँ खून में डूबानी चाहिए
और पर्दे के सामने सात बार खून को यहोवा के सामने छिड़कना
चाहिए। 18 तब याजक को कुछ खून वेदी के सिरे के सींगों पर
डालना चाहिए। (वह वेदी मिलापवाले तम्बू में यहोवा के सामने
है।) याजक को सारा खून होमबली की वेदी की नींव पर डालना
चाहिए। वह वेदी मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है। 19 तब याजक को
पशु की सारी चर्बी निकाल लेनी चाहिए और उसे वेदी पर जलाना
चाहिए। 20 वह बछड़े के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने पापबलि
के रूप में चढ़ाये गए बछड़े के साथ किया था। इस प्रकार याजक
लोगों के पाप का भुगतान करता है, इससे यहोवा इस्राएल के लोगों
को क्षमा कर देगा। 21 याजक डेरे के बाहर बछड़े को ले जाएगा
और उसे वहाँ जलाएगा। यह पहले के समान होगा। यह पूरे समाज
के लिए पापबलि होगी।

22 "हो सकता है किसी शासक से संयोगवश, कोई ऐसी बात हो
जो जिसे उसके परमेश्वर यहोवा ने न करने का आदेश दिया है, तो
यह शासक दोषी होगा। 23 यदि उसे इस पाप का पता चलता है तब
उसे एक ऐसा बकरा लाना चाहिए जिसमें कोई कोई दोष न हो।
यही उसकी भेंट होगी। 24 शासक को बकरे के सिर पर हाथ रखना
चाहिए और उसे उस स्थान पर मारना चाहिए जहाँ वे होमबलि

को यहोवा केसामने मारते हैं। बकरा पापबलि है। 25 याजक को
पापबलि का कुछ खून अपनी ऊँगली पर लेना चाहिए। याजक
होमबलि की वेदी के सिरे पर खून छिड़केगा। याजक को बाकी
खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए 26 और याजक
को बकरे की सारी चर्बी वैदी पर जलानी चाहिए। इसे उसी प्रकार
जलाना चाहिए जिस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है।
इस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार याजक
शासक के पाप का भुगतान करता है और यहोवा शासक को क्षमा
करेगा।

27 "हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से
संयोगवश कोई एसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का
आदेश दिया है। 28 यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले
तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष न हो। यह उस व्यक्ति
की भेंट होगी। वह इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने
किया है। 29 उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और
होमबलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए। 30 तब याजक को उस
बकरी का कुछ खून अपनी उँगली पर लेना चाहिए और होमबतलि
की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। याजक को वेदी की नींव पर
बकरी का सारा खून उँडेलना चाहिए। 31 तब याजक को बकरी की
सारी चर्बी उसी प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मलेबलि से
चर्बी निकाली जाती है। याजक को इसे यहोवा के लिये सुगन्धि
धूप की वेदी पर जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के
पापों का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर
देगा।

32 "यदि यह व्यक्ति पापबलि के रूप में एक मेमने को लाता
है तो उसे एक मादा मेमना लानी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो।
33 व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान
पर पापबलि के रूप में मारना चाहिए जहाँ वे होमबलि के पशु को
मारते हैं। 34 याजक को अपनी ऊँगली पर पापबलि का खून लेना
चाहिए और इसे होमबलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए।

तब उसे मेमने के सारे खून को वेदी की नींव पर उँडेलना चाहिए।
35 याजक को मेमने की सारी चर्बी उसी प्रकार लेनी चाहिए जिस
प्रकार मेलबलि के मेमने की चर्बी ली जाती है। याजक को यहोवा
के लिए आग द्वारा दी जाने वाली भेंटों के समान ही वेदी पर इन
टुकड़ों को जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों
का भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा।

5

असावधानी में किए गए विभिन्न अपराध

1 "यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया
जाता है या सुना है, उसे नहीं बताता तो वह पाप करता है। उसे
उसके अपराध के लिए अवश्य ही दण्ड भोगना होगा।

2 "अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो अशुद्ध
है जैसे अशुद्ध जंगली जानवर का शव या अशुद्ध मवेशी का शव
अथवा रेंगने वाले किसी अशुद्ध जन्तु का शव और उस व्यक्ति को
इसका पता भी नहीं चलता कि उसने उन चीजों को छुआ है, तो भी
वह बुरा करने का दोषी होगा।

3 "किसी भी व्यक्ति से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती है जो शुद्ध
नहीं होती। कोई व्यक्ति इनमें से दूसरे व्यक्ति की किसी भी अशुद्ध
वस्तु को अनजाने में ही छू लेता है तब वह दोषी होगा।

4 "अथवा ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करने
का जल्दी मं वचन दे देता हैं। लोग बहुत प्रकार के वचन जल्दी में
वचन दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा वजन दे देता है और उसे भूल
जाता है तो वह अपराधी है और जब उसे अपना वचन याद आता
है तब भी वह अपराधी है। 5 अत: यदि वह इनमें से किसी का दोषी
है तो उसे अपनी बुराई स्वीकार करनी चाहिए। 6 उसे परमेश्वर को
अनपे किए हुए पाप के लिए दोषबलि लानी चाहिए। उसे दोषबलि
के रूप में अपनी रेवड़ से एक मादा जानवर लाना चाहिए। यह

मेमना या बकरी हो सकता है। तब याजक वह कार्य करेगा जिससे उस व्यक्ति के पाप का भुगतान होगा।

7 "यदि कोई व्यक्ति मेमना भेंट करने में असमर्थ है तो उसे दो फ़ाख्ता या कबूतर के दो बच्चे यहोवा को भेंट में देना चाहिए। यह उसके पाप के लिए दोषबलि होगी। एक पक्षी दोषबलि के लिए होना चाहिए तथा दूसरा होमबलि के लिए होना चाहिए।
8 उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उन पक्षियों को याजक के पास लाए। पहले याजक को दोषबलि के रूप में एक पक्षी को चढ़ाना चाहिए। याजक पक्षी की गर्दन को मोड़ देगा। किन्तु याजक पक्षी को दो भागों में नहीं बाँटेगा।
9 तब याजक को दोषबलि के ख़ून को वेदी के सिरों पर डालना चाहिए। तब याजक को बचा हुआ ख़ून वेदी की नींव पर डालना चाहिए। यह दोषबलि है।
10 तब याजक को नियम के अनुसार होमबलि के रूप में दूसरे पक्षी की भेंट चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के अपराधों का भुगतान देगा। और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा।

11 "यदि कोई व्यक्ति दो फाख्ता या दो कबूतर भेंट चढ़ाने में असमर्थ हो तो उसे एपा का दसवाँ भाग* महीन आटा लाना चाहिए। यह उसकी दोषबलि होगी। उस व्यक्ति को आटे पर तेल नहीं डालना चाहिए। उसे इस पर लोबान नहीं रखना चाहिए क्यों यह दोषबलि है।
12 व्यक्ति को आटा याजक के पास लाना चाहिए। याजक इसमें से मुट्ठी भर आटा निकालेगा। यह स्मृति भेंट होगी। याजक यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट पर वेदी के ऊपर आटे को जलाएगा। यह दोषबलि है।
13 इस प्रकार याजक व्यक्ति के अपराधों के लिए भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। बची हुई दोषबलि याजक की वैसे ही होगी जैसे अन्नबलि होती है।"

14 यहोवा ने मूसा से कहा,
15 "कोई व्यक्ति यहोवा की पवित्र वस्तुओं† के प्रति अकस्मात् कोई गलती कर सकता है। तो उस

* **5:11:** एपा का दसवां भाग अर्थात् लगभग बराबर दो लीटर। † **5:15:** यहोवा की पवित्र वस्तुओं ये संभवत: विशेष भेंटे हैं जिन्हें व्यक्ति चढ़ाने का वचन देता है।

व्यक्ति को एक दोष रहित मेढ़ा लाना चाहिए। यह मेढ़ा यहोवा
के लिए उसकी दोषबलि होगी। तुम्हें उस मेढ़े का मुल्य निर्धारित
करने के लिए अधिकृत मानक का प्रयोग करना चाहिए। 16 उस
व्यक्ति को पवित्र चीजों के विपरीत किये गये पाप के लिए भुगतान
अवश्य करना चाहिए। जिन चीज़ों का उसने वायदा किया है, वे
अवश्य देनी चाहिए। उसे मूल्य में पाँचवाँ भाग जोड़ना चाहिए। उसे
यह धन याजक को देना चाहिए। इस प्रकार याजक दोषबलि के
मेढ़े द्वारा उस व्यक्ति के पाप को धोएगा और यहोवा उसके पाप
को क्षमा करेगा।

17 "यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और जिन चीजों को न करने
का आदेश यहोवा ने दिया है। उन्हें करता हो इस बात का कोई
महत्व नहीं कि वह इसे नहीं जानता । वह व्यक्ति अपराधी है और
उसे अपने पाप का फल भोगना होगा। 18 उस व्यक्ति को एक निर्दोष
मेढ़ा अपनी रेवड़ से याजक के पास लाना चाहिए। मेढ़ा दोषबलि
होगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के उस पाप का भुगतान करेगा
जिसे उसने अनजाने में किया। यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा।
19 व्यक्ति अपराधी हो चाहे वह यह न जानता हो कि वह पाप कर
रहा है। इसलिए उसे यहोवा को दोषबलि देना होगी।"

6

बेईमान लोगों की दोषबलि

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति इनमें से
किसी एक को करके अपराध कर सकता है: वह किसी अन्य के
लिए जिसकी वह देखभाल कर रहा हो, उसे कुछ होने के बारे में
झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति अपने दिए वचन* के बारे
में झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति कुछ चुरा सकता है,
या कोई व्यक्ति किसी को ठग सकता है, 3 अथवा किसी को कोई

---

* **6:2:** अपने दिए वचन "बन्धक सा सुरक्षा धन" यह ऐसा कुछ है जिसे तुम किसी व्यक्ति को इस बात के प्रमाण के रुप में देते हो कि तुम उससे कुछ अधिक महत्वपूर्ण करोगे।

खोई चीज मिले और तब वह उसके विषय में झूठ बोल सकता है
या कोई व्यक्ति कुछ करने का वचन दे सकता हे और तब अपने
दिये गे वचन को पूरा नहीं करता है, अथवा कोई कुछ अन्य बुरा
कर सकता हे। 4 यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी को करता है तो
वह पाप करने का दोषी है। उस व्यक्ति को जो कुछ उसने चुराया
हो या ठगकर जो कुछ लिया हो या किसी व्यक्ति के कहने से
उसकी धरोहर के रूप में जो रखा हो, या किसी का खोया हुआ
पाकर उसके बारे में झुठ बोला हो 5 या जिस किसी के बारे में झुठा
वचन दिया हो, वह उसे लौटान चाहिए। उसे पूरा मूल्य चुकाना
चाहिए और तब उसे वस्तु के मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा अतिरिक्त
देना चाहिए। उसे असली मालिक को धन देना चाहिए। उसे यह
उसी दिन करना चाहिए जि दिन वह दोषबलि लाए। 6 उस व्यक्ति
को दोषबलि याजक के पास लाना चाहे। यह रेवड़ से एक मेढ़ा
होना चाहिए। मेढ़े में कोई दोष नहीं होना चाहिए। यह उसी मूल्य
का होना चाहिए जो याजक कहे। यह यहोवा को दी गी दोषबलि
होगी। 7 तब याजक यहोवा के पास जाएगा और उस व्यक्ति के उन
पापों के लिए भुगतान करेगा जिनका वह अपराधी है, और यहोवा
उस व्यक्ति को उन पापों के लिए क्षमा करेगा जिन्होंने उसे अपराधी
बनाया।”

होमबलि

8 यहोवा ने मूसा से कहा, 9 “हारून और उसके पुत्रों को यह
आदेश दोः यह होमबलि का नियम है। होमबलि को वेदी के अग्नि
कुण्ड में पूरी रात सवेरा होने तक रखना चाहिए। वेदी की आग
को वेदी पर जलती रहनी चाहिए। 10 याजक को सन के उत्तम रेशों
के बने वस्त्र पहनने चाहिए। उसे अपने शरीर से चिपका सन का
अन्र्तवस्त्र पहनना चाहिए। तब याजक को वेदी पर होमबलि पर
जलने के बाद बची हुई राख को उठाना चाहिए। याजक को वेदी
की एक ओर राख को रखना चाहिए। 11 तब याजक को अपने
वस्त्रों को उतारना चाहिए और अन्य वस्त्र पहनने चाहिए। तब उसे

डेरे से बाहर स्वच्छ स्थान पर राख ले जानी चाहिए। 12 किन्तु वेदी
की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए। इसे बुझने नहीं देना चाहिए।
याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए। उसे वेदी
पर लकड़ी रखनी चाहिए। उसे मेलबलि की चर्बी जलानी चाहिए।
13 वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए। यह बुझनी नहीं
चाहिए।

अन्नबलि

14 "अन्नबलि का यह नियम है कि: हारून के पुत्रों को वेदी के
समने यहोवा के लिए इसे लाना चाहिए। 15 याजक को अन्नबलि
में से मुट्ठी भर उत्तम आटा लेना चाहिए। तेल और लोबान अन्नबलि
पर अवश्य होना चाहिए। याजक को अन्नबलि को वेदी पर जलाना
चाहिए। यह यहोवा को एक सुगन्धित और स्मृति भेंट होगी।

16 "हारून और उसके पुत्रों को बची हुई अन्नबलि को खाना
चाहिए। अन्नबलि एक प्रकार की अख़मीरी रोटी की भेंट है। याजक
को इस रोटी को पवित्र स्थान में खाना चाहिए। उन्हें मिलापवाले
तम्बू के आँगन में अन्नबलि खानी चाहिए। 17 अन्नबलि खमीर के
साथ नहीं पकाई जानी चाहिए। मुझको (यहोवा को) आग द्वारा दी
जाने वली बलि में से उनके (याजकों के) भाग के रूप में मैंने इसे
दिया है। यह पापबलि तथा दोषबलि के समान अत्यन्त पवित्र है।
18 हारून की सन्तानों में से हर एक लड़का आग द्वारा यहोवा को
चड़ाई गई भेंट में से खा सकता है। यह तुम्हारी पीढ़ीयों का सदा के
लिए नियम है। इन बलियों का स्पर्श उन व्यक्तियों को पवित्र करता
है।"†

याजकों की अन्नबलि

19 यहोवा ने मूसा से कहा, 20 "हारून तथा उसेक पुत्रों को जो
बलि यहोवा को लानी चाहिए, वह यह है। उन्हें यह उस दिन करना

† **6:18:** इन ... करता है इसका अनुवाद इस प्रकार भी किया जा सकता है: इन्हें जो कोई छुए उसे पहले पवित्र (शुद्ध) हो लेना चाहिए।

चाहिए जिस दिन हारून का अभिषेक हुआ है। उन्हें सदा दो क्वार्ट‡
उत्तम महीन आटा अन्नबलि के लिए लेना चाहिए। उन्हें इसका आधा
प्रातः काल तथा आधा सन्ध्या काल में लाना चाहिए। 21 उत्तम महीन
आटे में तेल मिलाना चाहिए और उसे कड़ाही में भूनना चाहिए। जब
यह भून जाए तब इसे अन्दर लाना चाहिए। तुम्हें अन्नबलि का चूरमा
बना लेना चाहिए। इस की सुगन्ध यहोवा को प्रसन्न करेगी।
22 "हारून के वंश में से वह याजक जिसका हारून के स्थान पर
अभिषेक हो, यहोवा को यह अन्नबलि चढ़ाए। यह नियम सदा के
लिए है। यहोवा के लिए अन्नबलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए।
23 जाजक की हर एक अन्नबलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए। इस
खाना नहीं चाहिए।"

पापबलि के नियम

24 यहोवा ने मूसा से कहा, 25 "हारून और उसके पुत्रों से कहो:
पापबलि के लिए यह नियम है कि पापबलि को भी वहीं मारा
जाना चाहिए जहाँ यहोवा के सामने होमबलि को मार जाता है।
यह अत्यन्त पवित्र है। 26 उस याजक को इसे खाना चाहिए, जो
पापबलि चढ़ाता है। उसे पवित्र स्थान पर मिलापवाले तमबू के
आँगन में इसे खाना चाहिए। 27 पापबलि के माँस का स्पर्श किसी
भी व्यक्ति को पवित्र करता है।

"यदि छिड़का हुआ खून किसी के वस्त्रों पर पड़ता है तो उन वस्त्रों को धो दिया जाना चाहिए। तुम्हें उन वस्त्रों को एक निश्चित पवित्र स्थान में धोना चाहिए।
28 यदि पापबलि किसी मिट्टी के बर्तन
में उबाली जाए तो उस बर्तन को फोड़ देना चाहिए। यदि पापबलि को काँसे के बर्तन में उबाला जाय तो बर्तन को माँजा जाए और पानी में उबाला जाय तो बर्तन को माँजा जाए और पानी में धोया जाए।

29 "परिवार का प्रत्येक पुरुष सदस्य याजक, पापबलि को खा
सकात है। यह अत्यन्त पवित्र है। 30 किन्तु यदि पापबलि का खून

‡ **6:20:** दो क्ववाॅट "1/10 एपा।"

पवित्र स्थान को शुद्ध करे के लिए मिलापवाले तम्बू में ले जाया गया हो तो पापबलि को आग में जला देना चाहिए। याजक उस पापबलि को नहीं खा सकते।"

7

दोषबलि

1 "दोषबलि के लिए यह नियम है। यह अत्यन पवित्र है। 2 याजक
को दोष बलि को उसी स्थान पर मारना चाहिए जिस पर वह होमबलियों को मारता है। याजक को दोषबलि में से वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए।

3 "याजक को दोषबलि की सारी चर्बी चढ़ानी चाहिए। उसे चर्बी
भरी पुँछ, भीतरी भागों को ढकने वाली चर्बी, 4 दोनों गुर्दे और उनके
ऊपर की चर्बी, पुट्ठो की चर्बी, और कलेजे की चर्बी चढ़ानी चाहिए।
5 याजक को वेदी पर उन सभी चीजों को जलाना चाहिए। ये यहोवा
को आग द्वारा दी गई बलि होगी। यह दोषबलि है।

6 "हर एक पुरुष जो याजक है, दोषबलि खा सकता है। यह बहुत
पवित्र है। अत: इसे एक निश्चित पवित्र स्थान में खआना चाहिए।
7 दोषबलि पापबलि के समान है। दोनों के लिए एक जैसे नियम
हैं। वह याजक, जो बलि चढ़ाता है, उसको वह प्राप्त करेगा। 8 वह
याजक जो बलि चढ़ाता है चमड़ा भी होमबलि से ले सकता है।
9 हर एक अन्नबलि चढ़ाने वाले याजक की होती है। याजक उन
अन्नबलियों को लेगा जो चूल्हे में पकी हों, या कड़ाही में पकी हों
या तवे पर पकी हों। 10 अन्नबलि हारुन के पुत्रों की होगी। उससे
कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि वे सूखी अथवा तेल मिली हैं। हारून के पुत्र याजक समान भागीदार होंगे।

मेलबलि

11 "ये मेलबलि के नियम हैं, जिसे कोई व्यक्ति यहोवा को चढ़ाता
है: 12 कोई व्यक्ति मेलबलि अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लिए ला
सकता है। यदि वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बलि लाता है तो

उसे तेल मिले अखमीरी फुलके, अखमीरी चपातियाँ और तेल मिले
उत्तम आटे के फुलके भी लाने चाहिए। 13 उस व्यक्ति को अनपी
मेलबलि के लिए खमीरी रोटियों के साथ अपनी बलि लानी चाहिए।
यह वह बलि है जिसे कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति कृतज्ञता दर्शाने
के लिए लाता है। 14 उन रोटियों में से एक उस याजक की होगी जो
मेलबलि के खून को छिड़कता है। 15 इस मेलबलि का माँस उसी
दिन खाया जाना चाहिए जिस दिन यह चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति
परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह भेंट चढ़ाता है।
किन्तु कुछ भी माँस अगले दिन के लिए नहीं बचना चाहिए।

16 "कोई व्यक्ति मेलबलि यहोवा को केवल भेंट चढ़ाने की इच्छा
से ला सकता हे अथवा सम्भवत: उस व्यक्ति ने यहोवा को विशेष
वचन दिया हो। यदि यह सत्य है तो बलि उसी दिन खायी जानी
चाहिए जिस दिन वब उसे चढ़ाये। यदि कुछ बच जाए तो उसे
अगले दिन खा लेना चाहिए। 17 किन्तु यदि इस बलि का कुछ माँस
फिर भी तीसरे दिन के लिए बच जाए तो उसे आग में जला दिया
जाना चाहिए। 18 यदि कोई व्यक्ति मेलबलि का माँस तीसरे दिन
खाता है तो यहोवा उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। यहोवा उस
बलि को उसके लिए महत्व नहीं देगा। यह बलि घृणित वस्तु बन
जाएगी औ यदि कोई व्यक्ति उस माँस का कुछ भी खाता है तो वह
अपने पाप के लिए उत्तरदायी होगा।

19 "लोगों को ऐसा माँस भी नहीं खाना चाहिए जिसे कोई अशुद्ध
वस्तु छू ले। उन्हें इस माँस को आग में जला देना चाहिए। वे सभी
व्यक्ति जो शुद्ध हों, मेलबलि का माँस खा सकते हैं। 20 किन्तु यदि
कोई व्यक्ति अपवित्र हो और यहोवा के लिए मेलबलि में से कुछ
माँस खा ले तो उस व्यक्ति को उस के लोगों से अलग कर देना
चाहिए।

21 "सम्भव है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज छू ले जो अशुद्ध
है। यह चीज लोगों द्वार या गन्दे जानवर द्वारा या किसी घृणित गन्दी
चीज़ द्वारा अशुद्ध बनाई जा सकती है। वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा

और यदि वह यहोवा के लिए मेलबलि से कुछ माँस खा ले तो उस
व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर देना चाहिए।”

22 यहोवा ने मूसा से कहा, 23 “इस्राएल के लोगों से कहोः तुम
लोगों को गाय, भेड़ और बकरी की चर्बी नहीं खानी चाहिए। 24 तुम
उस जानवर की चर्बी का प्रयोग कर सकते हो जो स्वतः मरा हो या
अन्य जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया हो। किन्तु तुम उस जानवर को
कभी नहीं खाना। 25 यदि कोई व्यक्ति उस जानवर की चर्बी खाता
है जो यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ाया गया हो तो उस व्यक्ति को
उस के लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए।

26 “तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हें किसी पक्षी या जानवर का खून
कभी नहीं खाना चाहिए। 27 यदि कोई व्यक्ति कुछ खून खाता है तो
उस व्यक्ति को उस के लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए।”

उत्तोलन बलि के नियम

28 यहोवा ने मूसा से कहा, 29 “इस्राएल के लोगों से कहोः यदि
कोई व्यक्ति यहोवा को मेलबलि लाए तो उस व्यक्ति को उस भेंट
का एक भाग यहोवा को देना चाहिए। 30 भेंट का वह भाग आग
में जलाया जाएगा। उसे उस भेंट का वह भाग अपने हाथ में लेकर
चलना चाहिए। उसे जानवर की छाती की चर्बी लेकर चलना चाहिए
और छाती को याजक के पास ले जाना चाहिए। छाती को यहोवा
के सामने ऊपर उठाया जायेगा। यह उत्तोलन बलि होगी। 31 तब
याजक को वेदी पर चर्बी जलानी चाहिए। किन्तु जानवर की छाती
हारून और उसके पुत्रों की होगी। 32 मेलबलि से दायीं जांघ हारून
के पुत्रों में से याजक को देनी चाहिये। 33 मेलबलि में से दायीं जांघ
उस याजक की होगी जो मेलबलि की चर्बी और खून चढ़ाता है।
34 में(यहोवा) उत्तोलन बलि की छाती तथा मेलबलि की दायीं जांघ
इस्राएल के लोगों से ले रहा हूँ और में उन चीजों को हारून और
उसके पुत्रों को दे रहा हूँ। इस्राएल के लोगों के लिए यह नियम सदा
के लिए होगा।”

35 यहोवा को आग द्वारा दी गी भेंट हारून और उसके पुत्रों की है,
जब कभी हारून और उसके पुत्र यहोवा के याजक के रूप में सेवा
करते हैं तब वे बलि का वह भाग पाते हैं। 36 जिस समय यहोवा ने
याजकों का अभीषेक किया उसी समय उन्होंने इस्राएल के लोगों
को वे भाग याजकों को देने का आदेश दिया। वे भाग सदा उनकी
पीढ़ी याकों को दिए जाने हैं।

37 ये होमबलि, अन्नबलि, पापबलि, दोषबलि, याजकों की
नियुक्ति, और मेलबलि के नियम हैं। 38 यहोवा ने सीनै पर्वत पर
ये नियम मूसा क दिए। यहोवा ने ये नियम उस दिन दिए जिस दिन
उसने इस्राएल के लोगों को सीनै मरुभूमि में यहोवा के लिए अपनी
भेंट लाने का आदेश दिया था।

8

मूसा हारून और उसके पुत्रों को ऊपसाना के लिए पवित्र करता है

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "हारून और उसके साथ उके पुत्रों,
उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पापबलि का बैल, दो भेड़ें और
अखमीरी मैदे के फुलके की टोकरी लो, 3 तब मिलापवाले तम्बू
के द्वार पर लोगों को एक साथ लाओ।"

4 मूसा ने वही किया जो यहोवा ने उसे आदेश दिया। लोगो
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर एक साथ मिले। 5 तब मूसा ने लोगों
से कहा, "यह वही है जोसे करने का आदेश यहोवा ने दिया है।"

6 तब मूसा, हारून और उसके पुत्रों को लाया। उसने उन्हें पानी
से नहलया। 7 तब मूसा ने हारून को अन्तःवस्त्र पहनाया। मूसा ने
हारून के चारों ओर एक पेटी बाँधी। तब मूसा ने हारून को बाहरी
लबादा पहनाया। इसके ऊपर मूसा ने हारुन को चोगा पहनाया और
उस पर एपोद पहनाई, फिर उस पर सुन्दर पटुका बाँधा। 8 तब मूसा
ने न्याया की थैली की जेब में ऊरीम औ तुम्मीम रखा। 9 मूसा ने
हारून के सिर पर पगड़ी भी बाँधी। मूसा ने इस पगड़ी के अगले

भाग पर सोने की पट्टी पवित्र मुकुट के समान है। मूसा ने यह यहोवा
के आदेश के अनुसार किया।

10 तब मूसा ने अभिषक का तेल लिया और पवित्र तम्बू तथा
इसमें की सभी चीजों पर छिड़का। इसप्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र
किया। 11 मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल वेदी पर सात बार छिड़का।
मूसा ने वेदी, उसके उपकरणों और तश्तरियों का अभिषेक किया।
मूसा ने बड़ी चिलमची और उसके आधार पर भी अभिषेक का
तेल छिड़का। इस प्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र किया। 12 तब मूसा
ने अभिषेक के कुछ तेल को हारून के सिर पर डाला। इस प्रकार
उसने हारून को पवित्र किया। 13 तब मूसा हारून के पुत्रों को लाया
और उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें पटुके पेटियाँ बाँधे। तब
उसने उन के सिर पर पगड़ियाँ बाँधी। मूसा ने ये सब वैसे ही किया
जैसे यहोवा ने आदेश दिया था।

14 तब मूसा पापबलि के बैल को लाया। हारून औ उसके पुत्रों
ने अपने हातों को पापबलि के बैल के सिर पर रखा। 15 तब मूसा
ने बैल को मारा। मूसा ने उसेक ख़ून को लिया। मूसा ने अपनी
ऊँगली का उपयोग किया और कुछ ख़ून वेदी पर के सभी कोनों
पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने वेदी को बलि के लिए शुद्ध किया।
तब मूसा ने वेदी की नींव पर ख़ून को उँडेला। इस प्रकार मूसा ने
वेदी को लोगों के पापों के भुगतान के लिए पाप बलियों के लिए
तैयार किया। 16 मूसा ने बैल के भीतरी भागों से सारी चर्बी ली। मूसा
ने दोनों गुर्दे और उनेक ऊपर की चर्बी के साथ कलेजे को ढकने
वाली चर्बी ली। तब उसने उन्हें बेदी पर जलाया। 17 किन्तु मूसा
बैल के चमड़े, उसके माँस और शरीर के वयर्थ भीतरी भाग रको
डेरे के बाहर ले गया। मूसा ने डेरे के बाहर आग में उन चीजों को
जलाया। मूसा ने ये सब बैसा ही किया जैसा यहोवा ने आदेश दिया
था।

18 मूसा होमबलि के मेढ़े को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने

अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। 19 तब मूसा ने मेढ़े को मार। उसने
वेदी के चारों और खून छिड़का । 20-21 मूसा ने मेढ़े को टुकड़ों
में काटा। मूसा ने भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोया। तब
मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया।मूसा ने उसका सिर, टुकड़े औ
चर्बी को जलाया। यह आग द्वारा होमबलि थी। यह यहोवा के लिए
सुगन्ध थी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार वे सबकाम किए।

22 तब मूसा दूसरे मेढ़े को लाया। इस मेढ़े का उपयोग हारून
और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए किया गाय। हारून और
उसके पुत्रों ने अनपे हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। 23 तब मूसा ने मेढ़े
को मारा। उसने इसका कुछ खून हारून के कान के निचले सिरे
पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और हारून के दाएं पैर के अंगूठे पर
लगाया। 24 तब मूसा हारून के पुत्रों को वेदी के पास लाया। मूसा
ने कुछ खून उनके दाएं कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे
पर और उनके दाएं पैर के अंगूठों पर लगाया। तब मूसा ने वेदी
के चारों ओर खून डाला। 25 मूसा ने चर्बी और भरी पूँछ, भीतरी
भाग की सारी चर्बी कलेजे को ढकेने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे और
उनकी चर्बी और दायीं जाँघ को लिया। 26 एक टोकरी अखमीरी
मैदे के फुलके हर एक दिन यहोवा के सामने रखी जाती हैं। मूसा
ने उन फुलकियों में से एक रोटी, और एक तेल से सनी फुलकी,
और एक अखमीरी चपाती ली। मूसा ने उन फुलकियों के टुकड़ो
को चर्बी तथा मेढ़े की दायीं जाँघ पर रखा। 27 तब मूसा ने उन सभी
को हारून और उके पुत्रों के हाथों में रखा। मूसा ने उन टुकड़ों को
यहोवा के सामने उत्तोन बलि के रूप मे हाथों में ऊपर उठवाया।
28 तब मूसा ने इन चीजों को हारून और उसके पुत्रों के हाथों से
लिया। मूसा ने उन्हें वेदी पर होमबली के ऊपर जलाया। इस प्रकार
वह बलि हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करने के लिए
थी। यह आग द्वारा दी गी बलि थी। यह यहोवा को प्रसन्न करने के
लिए सुगन्ध थी। 29 तब मूसा ने उस मेढ़े की छाती को लिया और

यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए ऊपर उठवाया। याजकों
को नियुक्त करने के लिए यह मूसा के हिस्से का मेढ़ा था। यह ठीक
वैसा ही था जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

30 मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल और वेदी पर का कुछ ख़ून
लिया। मूसा ने उस में से थोड़ा हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का
और कुछ हारुन के उन पुत्रों पर जो उसके साथ थे और कुछ उनके
वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने हारून, उसके वस्त्रों, उसके
पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र बनाया।

31 तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, "क्या तुम्हें मेरा
आदेश* याद है? मैंने कहा, 'हारून और उसके पुत्र इन चीजों को
खाएंगे।' अत: याजक नियुक्ति संस्कार से रोटी की टोकरी और माँस
लो। मिलापवाले तम्बू के द्वार पर उस माँस को उबालो। तुम उस
माँस और उस रोटी को उसी स्थान पर खाओगे। 32 यदि कुछ मांस
या रोटी बच जाए तो उसे जला देना। 33 याजक नियुक्ति संस्कार सात
दिन तक चलेगा। तुम मिलापवाल तम्बू से तब तक नहीं जाओगे
जब तक तुमहार याजक नियुक्ति संस्कार का समय पूरा नहीं हो
जाता। 34 यहोवा ने उन कामों को करने का आदेश दिया था जो
आज किए गए उन्होंने तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए यह आदेश
दिया था। 35 तुम्हें मिलापवाले तम्बू के द्वार पर सात दिन तक, पूरे
दिन रात रहना चाहिए। यदि तुम यहोवा का आदेश नहीं मानते हो
तो तुम मर जाओगे। यहोवा ने मुझे ये आदेश दिया था।"

36 इसलिए हारून और उसके पुत्रों ने वह सब कुछ किया जिसे
करने का आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था।

---

* **8:31:** मेरा आदेश यहाँ मेरा आदेश से अभिप्राय है मेरे द्वारा दिया गया यहोवा का आदेश मूसा का वचन, यहोवा का वचन है क्योंकि वह यहोवा का प्रवक्ता है। इसलिए यहाँ मूसा ने यहोवा के आदेश को मेरा आदेश कहा है।

9

परमेश्वर द्वारा याजकों को स्वीकृती

1 आठवें दिन, मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को बुलाया। उस ने
इस्राएलके बुजुर्गों (नेताओं) को भी बुलाया। 2 मूसा ने हारून से कहा,
"अपने पशूओं में से एक बछड़ा और एक मेढ़ा लो। इन जानवरों
में कोई दोष नहीं होना चाहिए। बछड़ा पापबलि होगा और मेढ़ा
होमबलि होगा। इन जानवरों को यहोवा को भेंट करो। 3 इस्राएल
के लोगों से कहो, 'पापबलि हेतु एक बकरा लो। एक बछड़ा और
एक मेमना होमबलि के लिए लो। बछड़ा और मेमना दोनों एक वर्ष
के होने चाहिए। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। 4 एक
साँड और एक मेढ़ा मेलबलि के लिए लो। उन जानवरों को और
तेल मिली अन्नबलि लो और उन्हें यहोवा को भेंट चढ़ाओ। क्यों?
कियोंकि आज यहोवा की महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होगी।' "

5 इसलिए सभई लोग मिलापवाले तम्बू में आए और वे सभई उन
चीज़ों को लाए जिनके लिए मूसा ने आदेश दिया था। सभी लोग
यहोवा के सामने खड़े हुए। 6 मूसा ने कहा, "तुमने वही किया है जो
यहोवा ने आदेश दिया। तुन लोग यहोवा की महिमा देखोगे।"

7 तब मूसा ने हारून से ये बातें कहीं, "जाओ और वह करो
जिसके लिए यहोवा ने आदेश दिया था। वेदी के पास जाओ और
पापबलि तथा होमबलि चढ़ाओ। यह सब अपने और लोगों के पापों
के भुगतान के लिए करो। तुम लोगों की लायी हुई बलि को लो औ
उसे यहोवा को अर्पित करो। यह उनके पापों का भुगतान होगा।"

8 इसलिए हारून वेदी के पास गया। उसन बछड़े को पापबलि
हेतु मारा। यह पापबलि स्वयं उसके अपने लिए थी। 9 तब हारून के
पुत्र हारून के पास खून लाए। हारून ने अपनी उँगली खून में डाली
और वेदी के सिरों पर इसे लगाया। तब हारून ने वेदी की नींव पर
खून उँडेला। 10 हारून ने पापबलि से चर्बी, गुर्दे और कलेजे की चर्बी
को लिया। उस ने उनहें वेदी पर जलाया। उसने उसी प्रकार किया

जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। 11 तब हारून ने
डेरे के बाहर माँस और चमड़े को जलाया।
12 इसके बादस, हारून ने होमबलि के लिए उस जानवर को मार।
जानवरको टुकड़ों में काटा गाय। हारून के पुत्र खून को हारून के
पास लाए और हारून ने वेदी के चारों ओर खून डाला। 13 हारून
के पुत्रों ने उन टुकड़ों और होमबलि का सिर हारून को दिया। तब
हारून ने उन्हें वेदी पर जलाया। 14 हारून ने होमबलि के भीतरी
भागों और पैरों को धोया और उसने उन्हें वेदी पर जलाया।
15 तब हारून लोगों की बलि लाया। उसने लोगों के लिए पापबलि
वाले बकरे को मारा। उसने बकरे को पहले की तरह पापबलि के
लिए चढ़ाया। 16 हारून होमबलि को लाया और उसने वह बलि
चढ़ाई। वैसे ही जैसे यहोवा ने आदेश दिया था। 17 हारून अन्नबलि
को वेदी के पास लाया। उसने मुट्ठी भर अन्न लिया और प्रातः काल
की नित्य बलि के साथ उसे वेदी पर रखा।
18 हारून ने लोगों के लिए मलेबलि के साँड और मेढ़े को मारा।
हारून के पुत्र खून को हारून के पास लाए। हारून ने इस खून को
वेदी के चारों ओर उँडेला। 19 हारून के पुत्र साँड और मेढ़े की चर्बी
भी लाए। वे चर्बी भरी पूँछ, भीतरी भागों को ढकने वाली चर्बी, गुर्दे
और कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी लाए। 20 हारून के पुत्रों ने
चर्बी के इन भागों को साँड और मेढ़े की छातियों पर रखा। हारून
ने चर्बी के भागों को लेकर उसे वेदी पर जलाया। 21 मूसा के आदेश
के अनुसार हारून ने छातियों और दायीं जाँघ को उत्तोलन भेंट के
लिए यहोवा के सामने हाथों में ऊपर उठाया।
22 तब हारून ने अपने हाथ लोगों की ओर उठाए और उन्हें
आशीर्वाद दिया। हारून पापबलि, होमबलि और मेलबलि को
चढ़ाने के बाद वेदी से नीचे उतर आया।
23 मूसा और हारून मिलापवाले तम्बू में गए और फिर बाहर
आकर उन्होंने लोगों के सामने तेज प्रकट हुआ। 24 यहोवा से अग्नि
प्रकट हुई और उसने वेदी पर होमबलि और चर्बी को जलाया। सभी

लोगों जब यह देखा तो वे चिल्लाया और उन्होंने धरती पर गिरकर प्रणाम किया।

10

परमेश्वर की ज्वाला द्वारा विनाश

1 फिर तभी हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने पाप किया।
दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए तश्तरी ली। उन्होंने एक अलग
ही आग का प्रयोग किया और लोबान को जलाया। उन्होंने उस
आग का प्रयोग नहीं किया जिसके उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें
दिया था। 2 इसलिए योहव से ज्वाला प्रकट हुई और उसने नादाब
और अबीहू को नष्ट कर दीया। वे यहोवा के सामने मरे।

3 तब मूसा ने हारून से कहा, "यहोवा कहता है, 'जो याजक मेरे
पास आए, उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए! मैं उन के लिए और सब
ही के लिये पवित्र माना जाऊँ।' " इसलिए हारून अनपे मरे हुए पुत्रों
के लिए खामोश रहा।

4 हारून के चाचा उज्जीएल के दो पुत्र थे। वे मीशाएल और
एलसाफान थे। मूसा ने उन पुत्रों से कहा, "पवित्र स्थान के सामने
के भगा में जाओ। अपने चचेरे भाईयों के शवों को उठाओ और
उन्हें डेरे के बाहर ले जाओ।"

5 इसलिए मीशाएल और इलसाफान ने मूसा का आदेश माना।
वे नादाब और अबीहू के शवों को बाहर लाए। नादाब और अबीहू
तब तक अपने विशेष अन्तःवस्त्र पहने थे।

6 तब मूसा ने हारून और उसके अन्य पुत्रों एलीआजार और
ईतामार से बात की। मूसा ने उनसे कहा, "कोई शोक प्रकट न करो!
अनपे वस्त्र न फाड़ो या अपने बालों को न बिखरो! शोक प्रकट
न कोरो, तुम मरोगे नहीं और योहवा तुम सभी लोगों से अप्रसन्न
नहीं होगा। इस्राएल का पूरा राष्ट्र तुम लोगों का सम्बन्धी है। वे
यहोवा द्वारा नादाब और अबीहू के जलाने के विषय में रो पीट
सकते हैं। 7 किन्तु तुम लोगों को मिलापवाले तम्बू भी नहीं छोड़ना

चाहिए । यदि तुम लोग उस द्वार से बाहर जाओगे तो मर जाओगे।
क्यों क्योंकि यहोवा के अभिष्क का तेल तुम ने लगा रखा है।” सो
हारून एलीआजार और ईतामार ने मूसा की आज्ञा मानी।

8 तब योहा ने हारून से कहा, 9 “तुम्हें और तम्हारे पुत्रों को
दाखमधु या मद्य उस समय नहीं पीनी चाहिए जब तुम लोग
मिलापवाले तम्बू में आओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे!
यह नयम तुम्हारी पीढ़ियों में सदा चलता रहेगा। 10 तुम्हें, जो चीज़ें
पवित्र हैं तथा जो पवित्र नहीं हैं, जो शुद्ध हैं और जो शुद्ध नहीं हैं
उनमें अन्तर करना चाहिए। 11 यहोवा ने मूसा को अपने नियम दिए
और मूसा ने उन नियमों को लोगों को दिया। “हारून तुम्हें उन सभी
नयमों की शिक्षा लोगों को देना चाहिए।”

12 अभी तक हारून के दो पुत्र एलीआज़ार और ईतामार जीवित
थे। मूसा ने हारून और उके दोनों पुत्रों से बात की। मूसा ने कहा,
“कुछ अन्नबलि उन बलियों में से बची है जो आग में जलाई गई थी।
तुम लोग अन्नबलि का वह भाग खाओगे। किन्तु तुम लोगों को इसे
बिना ख़मीर मिलाए खाना चाहिए। इसे वेदी के पास खाओ। क्यों
क्योंकि वह बेट बहुत पवित्र है। 13 वह उस भेंट का भाग है, जो
यहोवा के लिए आग में जलाई गई थी और जो नियम मैंने तुमको
बताया, वह सिखाता है कि वह भाग तुम्हारा और तम्हारे पुत्रों का
है। किन्तु तुम्हें इसे पवित्र स्थान पर ही खाना चाहिए।

14 “तुम, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियों भी उत्तोलन बलि से छाती
को औ मेलबलि से जाँघ को खा सकेंग। इन्हें तुम्हें किसी पवित्र
स्थान पर नहीं खाना है। बल्कि तुम्हें इन्हें किसी शुद्ध स्थान पर खाना
चाहिए। क्यों क्योंकि ये मेलबलियों में से मिली है। इस्रएल के लोग
ये बलि यहोवा को देते हैं। उन जानवरों के कुछ भाग को लोग
खाते हैं किन्तु छाती और जाँघ तुम्हारा भाग है। 15 लोगों को अपने
जानवरों की चर्बी आग में जलाई जाने वाली बलि के रूप में लानी
चाहिए। उसे यहोवा के सामने उत्तोलित करना होगा और यह बलि

तुम्हारा भाग होगा। यह तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा। योहवा
के आदेश के अनुसार बलि का वह भाग सदा तुम्हारा होगा।"
16 मूसा ने पापबलि के बकरे के बारे में पूछा। किन्तु उसे पहले
ही जला दिया गया था। मूसा हारून के शेष पुत्रों एलीआज़ार और
ईतामार पर बहुत क्रोधित हुआ। मूसा ने कहा, 17 "तुम लोगों कोस
यह बकरा पवित्र स्थान पर खाना था। यह बहुत पवित्र है! तुम
लोगों ने इसे यहोवा के सामने क्यों नहीं खाया? यहोवा ने उसे तुम
लोगों के अपराधों को दूर करने के लिए दिया। वह बकरा लोगों
के पापों के भुगतान के लिए था। 18 देखो! तुम उस बकरे का खून
पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाए। तुम्हें इस बकरे को पवित्र स्थान
पर खाना था जैसा कि मैंने आदेश दिया है।"
19 किन्तु हारून ने मूसा से कहा, "सुनों, आज वे अपनी पापबलि
और होमबलि यहोवा के सामने लाए। किन्तु तुम जानते हो कि आज
मरे साथ क्या हुआ! क्या तुम यह समझते हो कि यदि मैं पापबलि
को आज खाऊँगा तो यहोव प्रसन्न होगा? नहीं!"*
20 जब मूसा ने यह सुना तो वह सहमत हो गया।

11

माँस भोजन के नियम

1 यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 2 "इस्राएल के लोगों से
कहो: ये जानवर हैं जिन्हें तुम खा सकते हो: 3 यदि जानवर के खुर
दो भागों में बँटे हों और वह जानवर जुगाली भी करता हो तो तुम
उस जानवर का माँस खा सकते हो।

ऐसे जानवर जिनका माँस नहीं खाना चाहिए

4-6 "कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किन्तु उनके खुर फटे नहीं
होते। तो ऐसे जानवरों को मत खाओ—ऊँट, शापान और खरगोश

---

* **10:19:** क्या...नहीं हारुन अपने दो पुत्रों की मृत्यु के कारण इतना अधिक परेशान था कि पापबलि को नहीं खा सका था।

वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं। 7 अन्य जानवर दो भागों
में बँटी खुरों वाले हैं, किन्तु वे जुगाली नहीं करते। उन जानवरों को
मत खाओ। सुअर बैसे ही हैं, अतः वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 8 उन
जानवरों का माँस मत खाओ! उनके शव को छूना भी मत वे तुम्हारे
लिए अशुद्ध हैं!

समुद्री भोजन के नियम

9 "यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख
और परतें हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हो। 10-11 किन्तु
यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें
नहीं होतीं तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गन्दे
जानवरों में से एक हैं। उस जानवर का माँस मत खाओ। उसके शव
को छूना भी मत! 12 तुम्हें पानी के हर एक जानवर को, जिसके पंख
और परतें नहीं होतीं, उसे घिनौने जानवरों में समझना चाहिए।

अभोज्य पक्षी

13 "तुम्हें निम्न पक्षियों को भी घिनौने पक्षी समझना चाहिए। इन
पक्षियों में से किसी को मत खाओ: उकाब, गिद्ध, शिकारी पक्षी,
14 चील, सभी प्रकार के बाज नामक पक्षी, 15 सभी प्रकार के काले
पक्षी, 16 शुतुर्मुर्गु, सींग वाला उल्लू, समुद्री जलमुर्ग, सभी प्रकार के
बाज, 17 उल्लू, समुद्री काग, बड़ उल्लू, 18 जलमुर्ग, मछली खानेवाले
पेलिकन नामक खेत जलपक्षी, समुद्री गिद्ध, 19 हंस, सभी प्रकार के
सारस, कठफोड़वा और चमगादड़।

कीटपतंगों को खाने के नियम

20 "और सभी ऐसे कीट पतंगे जिनके पंख होते हैं तथा जो रेंग कर
चलते भी हैं। ये घिनौने कीट पतंगे हैं! 21 किन्तु यदि पतंगों के पंख
हैं और वह रेंग कर चलता भी हो तथा उसके पैरों के ऊपर टांगों में
ऐसे जोड़ हैं कि वब उछल सके तो तुम उन पतंगों को खा सते हो।

22 ये पतंगे हैं जिनहें तुम खा सकते होः हर प्रकार की टिड्डियाँ, हर
प्रकार की सपंख टिड्डियाँ, हर प्रकार के झींगुर हर प्रकार के टिड्डे।
23 "किन्तु अन्य सभी वे कीट पतंगे जनके पंख हैं और जो रेंग
भी सकते हैं, तुम्हारे लिए घिनौने प्राणी हैं। 24 वे कीट पतंगे तुमको
असुद्ध करेंगे। कोई व्यक्ति जो मरे कीट पतंगे को छूएगा, सन्ध्या
तक अशुद्ध रहेगा। 25 यदि कोई मरे कीट पतंगें मे से किसी को
उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने कपड़े धो लेने चाहिए। वह
व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

घिनौने जानवरों के विषय में अन्य नियम

26-27 "कुछ जानवरों के घुर फटे होते हैं किन्तु खुर के ठीक ठीक
दो भाग नीहं होते। कुछ जानवर जुगाली नीं करते। कुछ जानवरों के
घुर नहीं होते, वे अपने पंजों* पर चलते हैं ऐसे सभी जानवर तुम्हारे
लिए घनौने हैं। कोई व्यक्ति, जो उन्हें छूयेगा अशुद्ध हौ जाएगा। वह
व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 28 यदि कोई व्यक्ति उनके मरे
शरीर को उठाता है तो उस व्यक्तति को अपने वस्त्र धोने चाहिए।
वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे जानवर तुम्हारे लिए अशुद्ध
है।

रेंगेने वाले जानवरों के बारे में नियम

29 "ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं: छछून्दर, चूहा,
सभी प्रकार के बड़े गिरगिट, 30 छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट,
रेगिस्तानी गोहेर, और रंग बदलता गिरगिट। 31 ये रेंगने वाले जानवर
तुम्हारे लिये घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन मरे हुओं को छूएगा
सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

घिनौने जानवरों के बारे में नियम

* **11:26-27:** पंजों जानवरों के पैर। पंजों के तले में नाख़ून और नरम गद्दी होती है खुर की तरह कठोर भाग नहीं होता।

32 “यदि किसी घिनौने जानवरों में से कोई मरा हुआ जानवर
किसी चीज़ पर गिरे तो वह चीज़ अशुद्ध हो जाएगी। यह लकड़ी,
चमड़ा, कपड़ा, शोक वस्त्र या कोई भी औजार हो सकात है। जो
कुछ भी वह हो उसे पानी से धोना चाहिए। यह सन्ध्या तक अशुद्ध
रहेगा। तब यह फिर शुद्ध हो जाएगा। 33 यदि उन गन्दे जानवरों में से
कोई मरा हुआ मिट्टी के कटोरे में गिरे तो कटोरे की कोई भी चीज़
अशुद्ध हो जाएगी। तुम्हें कटोरा अवश्य तोड़ देना चाहिए। 34 यदि
अशुद्ध मिट्टी के कटोरे का पानी किसी भोजन पर पड़े तो भोजन
अशुद्ध हो जाएगा। अपवित्र कटोरे में कोई भी दाखमधु अशुद्ध हो
जाएगी। 35 यदि किसी मरे हुए घिनौने जानवर का कोई भाग किसी
चीज़ पर आ पड़े तो वह चीज शुद्ध नहीं रहेगी। इसे टुकडे—टुकड़े
कर देने चाहिए। चाहे वह चूल्हा हो चाहे कड़ाही। वे तुम्हारे लिए
सदा अशुद्ध रहेगी।

36 “कोई सोता या कुआँ जिसमें पानी रहता है, शुद्ध बना रहेगा
किन्तु कोई व्यक्ति जो किसी मरे घिनौने जानवर को छूयेगा, अशुद्ध
हो जाएगा 37 यदि उन घिनौने मरे जानवरों का कोई भाग बोए जाने
वाले बीज पर आ पड़े तो भी वह शुद्ध ही रहेगा। 38 किन्तु भिगोने
के लिए यदि तुम कुछ बीजों पर पानी डालेते हो और तब यदि मरे
घिनौने जानवर का कोई भाग उन बीजों पर आ पड़े तो वे बीज
तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।

39 “और भी, यदि भोजन केलिए उपयुक्त कोई जानवर अपने आप
मर जाए तो जो व्यक्ति उके मरे शरीर को छूयेगा, सन्ध्या तक अशुद्ध
रहेगा 40 और उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। जो उस मृत
जानवर के शरीर का माँ खाए। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।
जो व्यक्ति मरे जानवर के शरीर को उठाएगा उसे भी अपने वस्त्रों
को धोना चाहिए। यह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

41 “हर एक ऐसा जानवर जो धरती पर रेंगता है, वो उन जानवरों
में से एक है, जिसे यहोवा ने खाने को मना किया है। 42 तुम्हें ऐसे

किसी भी रेंगने वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए जो पेट के बल
रेंगता है जै चारों पैरों पर चलता है, या जिसके बहुत से पैर हैं। ये
तुम्हारे लिए घिनौने जानवर हैं! 43 उन घिनौने जानवरों से अपने को
अशुद्ध मत बनाओ। तुम्हें उनके साथ अपने को अशुद्ध नहीं बनाना
चाहिए! 44 क्यों क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ! मैं पवित्र हूँ
इसलिए तुम्हें अपने को पवित्र रखना चाहिए! उन घिनौने रेंगने वाले
जानवरों से अपने को घोनौना न बनाओ! 45 मैं तुम लोगों को मिस्र
से लाया। मैंने यह इसलिए किया कि तुम लोग मेरे विशेष जन बने
रह सको। मैंने यह इसलिए किया कि मैं तुमहार परमेश्वर बन सकूँ।
मैं पवित्र हूँ अतः तम्हें भी पवित्र रहना है!”

46 वे नियम सभी मवेशियों, पक्षियों और धरती के अन्य जानवरों
के लिए हैं। वे नियम समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों और धरती
पर रेंगने वाले सभी जानवरों के लिए हैं। 47 वे उपदेश इसलिए हैं कि
लोग शुद्ध जानवरों और घिनौने जानवरों में अन्तर कर सकें। इस,
प्रकार लोग जानेंगे कि कौन सा जानवर खाने योग्य है और कौन सा
खाने योग्य नहीं है।

12

नयी माताओं के लिए नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “इस्राएल के लोगों से कहोः

“यदि कोई स्त्री एक लड़के को जन्म देती है तो वह स्त्री सात दिन
तक अशुद्ध रहेगी। यह उसके रक्त स्राव के मासिकधर्म के समय
अशुद्ध होने की तरह होगा। 3 आठवें दि लड़के का खतना होना
चाहिए। 4 खून की हानि से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध होने के तैंतीस
दिन बाद तक यह होगा। उस स्त्री को वह कुछ नहीं छूना चाहिए
जो पवित्र है। उसे पवित्र स्थान में तब तक नहीं जाना चाहिए जब
तक उसके पवित्र होने कासमय पूरा न हो जाए। 5 किन्तु यदि स्त्री
लड़की को जन्म देती है तो माँ रक्त स्राव के मासिक धर्म के समय

की तरह दो स्पताह तक शुद्ध नहीं होगी। वह अपने खून की हानि
के छियासठ दिन बाद शुद्ध हो जाती है।
6 "नहीं मैं जिसने अभी लड़की या लड़के को जन्म दिया है, ऐसी
माँ के शुद्ध होने का विशेष समय पूरा होने पर उसे मिलापवाले तम्बू
में विशेष भेंटें लानी चाहिए। उसे उन भेंटों को मिलापवाले तम्बू के
द्वार पर याजक को देना चाहिए। उसे एक वर्ष का मेमना होमबलि
के लिए और पापबलि के हेतु एक फ़ाख्ता या कबूतर का बच्चा
लाना चाहिए। 7-8 यदि स्त्री मेमना लाने में असमर्थ हो तो वह दो
फ़ाख्ते या दो कबूतर के बच्चे ला सकती है। एक पक्षी होमबलि के
लिए होगा तथा एक पापबलि के लिए। याजक यहोवा के सामने
उनहें अर्पित करेगा। इस प्रकार वह उसके लिए उसके पापों का
भुगतान करेगा। तब वह अपने खून की हानि की अशुद्धि से शुद्ध
होगी। ये नियम उन स्त्रियों के लिए है जो एक लड़का या लड़की
को जन्म देती हैं।"

13

गंभीर चर्मरोगों के बारे में नियम

1 यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 2 "किसी व्यक्ति के चर्म
पर कोई भयंकर सूजन हो सकी है, या खुजली अथवा सफेद दाग
हो सकते हैं। यदि घाव चर्मरोग की तरह दिखाई पड़े तो व्यक्ति को
याजक हारून या उसके किसी एक याजक पुत्र के पास लाया जाना
चाहिए। 3 याजकों को व्यक्ति के चर्म के घाव को देखना चाहिए।
यदि घाव के बाल सफेद हो गए हों और घाव व्यक्ति के चर्म से
अधिक गहरा मालूम हो तो यह भयंकर चर्म रोग है. जब याजक
व्यक्ति की जाँच खत्म करे तो उसे घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति
अशुद्ध है।
4 "कभी कभी किसी व्यक्ति के चर्म पर कोई सफेद दाग हो जाता
है किन्तु दाग चर्म से गहरा नहीं मालूम होता। यदि वह सत्य हो तो
याजक उस व्यक्ति को सात दिन के लिए अन्य लोगों से अलग

करे। 5 सातवे दिन याजक को उस व्यक्ति की जाँच करनी चाहिए।
यदि याजक देखे कि घाव मं परिवर्तन नहीं हुआ है और वह चर्म
पर औ अधिक फैला नहीं है तो याजक को और सात दिन के लिए
उसे अलग करना चाहिए। 6 सात दिन बाद याजक को उस व्यक्ति
की फिर जांच करनी चाहिए। यदि घाव सूख गया हो और चरम पर
फैला न हो, तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध
है। वह केवल एक खुरंड है। तब रोगी को अनपे वस्त्र धोने चाहिए
और फिर से शुद्ध होना चाहिए।

7 "किन्तु यदि व्यक्ति ने याजक को फिर अपने आपको सुद्ध बनाने
के लिए दिखा लिया हो और उसके बाद चर्मरोग त्वचा पर अधिक
फैलने लगे तो उस व्यक्ति को फिर याजक के पास आना चाहिए।
8 याजक को जाँच करके देखना चाहिए। यदि घाव चर्म पर फैला
हो तो याजक को घोषमा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति अशुद्ध है
अर्थात् उसे कोई कोई भयानक चर्मरोग है।

9 "यदि व्यक्ति को भायनक चर्मरोग हुआ हो तो उसे याजक के
पास लाया जाना चाहिए। 10 याजक को उस व्यक्ति की जाँच करके
देखना चाहिए। यदि चर्म पर सफेद दाग हो और उसमे सूजन हो, उस
स्थान के बाल सफेद हों गए हो और यदि वहाँ घाव कच्चा हो 11 तो
यह कोई भयानक चर्मरोग है जो उस व्यक्ति को बहुत समय से है।
अत: याजक को उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर देना चाहिए।
याजक उस व्यक्ति को केवल थोड़े से समय के लिए ही अन्य लोगों
से अलग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह व्यक्ति
अशुद्ध है।

12 "यदि कभी चरमरोग व्यक्ति के सारे शरीर पर फैल जाए, वह
चर्मरोग उस व्यक्ति के चरम को सिर से पाँव तक ढकले, 13 और
याजक देखे कि चर्मरोग पूरे शरीर को इस प्रकार ढके है कि उस
व्यक्ति का पूरा शरीर ही सफेद हो गया है तो याजक को उसे शुद्ध
घोषित कर देना चाहिए। 14 किन्तु यदि व्यक्ति का चरम घाव जैसा

कच्चा हो ते वह शुद्ध नहीं है। 15 जब याजक कच्चा चर्म देखे, तब उसे
घोषित करना चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। कच्चा चर्म शुद्ध नहीं है।
यह भयानक चर्मरोग है।

16 "यदि चर्म फिर कच्चा पड़ जाये और सफेद हो जाये तो व्यक्ति
को याजक के पास आना चाहिए। 17 याजक को उस व्यक्ति की
जाँच करेक देखना चाहिए। यदि रोग ग्रस्त अंग सफेद हो गया हो
तो याजक को घोषित करन चाहिए कि वह व्यक्ति जिसे छूत रोग
है, वह अंग शुद्ध है। सो वह व्यक्ति शुद्ध है।

18 "हो सकता है कि शरीर के चर्म पर कोई फोड़ा हो। और
फोड़ा ठीक हो जाय। 19 किन्तु फोड़े की जगह पर सफेद सूजन या
गहरी लाली लिए सफेद औ चमकीला दाग रह जाय तब चर्म का
यह स्थान याजक को दिखाना चाहिए। 20 याजक को उसे देखना
चाहिए। यदि सूजन चर्म से गहरा है और इस पर के बाल सफेद हो
गये हैं तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति अशुदध
है। वह दाग भयानक चर्म रोग है। यह फोड़े के भीतर से फूट पड़ा
हे। 21 किन्तु यदि याजक उस स्थान को देखता है और उस पर
सफेद बाल नहीं हैं और दाग चर्म से गहरा नहीं है, बल्कि धुंधला
है तो याजक को उस व्यक्ति को सात दिन के लिए अलग करना
चाहिए। 22 यदि दाग का अधिक भाग चर्म पर फैलता है तब याजक
को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। यह छूत रोग है।
23 किन्तु यदि सफेद दाग अपनी जगह बना रहता है, फैलता नहीं
तो वह पुराने फोड़े का केवल घाव है। याजक को घोषणा करनी
चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है।

24-25 "किसी व्यक्ति का चर्म जल सकता है। यदि कच्चा चर्म सफेद
या लालीयुक्त दाग होता है तो याजक को इसे देखना चाहिए। यदि
वह दाग चर्म से गहरा मालूम हो औ उस स्थान के बाल सफेद हो तो
यह भयंकर चर्म रोग है। जो जले में से फूट पड़ा है. तब याजक को
उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करना चाहिए। यह भयंकर चरकम

रोग है। 26 किन्तु याजक यदि उस स्थान को देखता है ौर सफेद ताग
में सफेद बाल नहीं है और दाग चर्म से गहरा नहीं है, बल्कि हल्का
है तो याजक को उसे सात दिन के लिए ही अलग करना चाहिए।
27 सातवें दिन याजक को उस व्यक्ति को फिर देखना चाहिए। यदि
दाग चर्म पर फैले तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति
अशुद्ध है। यह भयंकर चर्म रोग है। 28 किन्तु यदि सफेद दाग चर्म
पर न फेल, अपितु धुंधला हो तो यह जलने से पैदा हुई सूजन है।
याजक को उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करना चाहिए। यह केवल
जले का निशान है।

29 "किसी व्यक्ति के सिर की खाल पर या दाढ़ी में कोई छूत रोग
हौ सकता है। 30 याजक को छूत के रोग को देखना चाहिए। यदि
छूत का रोग चर्म से गहरा मालूम हो और इसके चारों ओ के बल
बारीक औ पीले हों तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति
अशुद्ध है। यह बुरा चर्मरोग है। 31 यदिरोग चर्म से गहरा न मालूम
हो, और इसमें कोई काला बाल न हो तो याजक को उसे सात दिन
के लिए अलग कर देना चाहिए। 32 सातवें दिन याजक को छूत के
रोगी को देखना चाहिए। यदि रोग फैला नहीं है या इसमं पीले बाल
नहीं उग रहे है और रोग चर्म से गहरा नहीं है, 33 तो व्यक्ति को बाल
काट लेने चाहिये। किन्तु उसे रोग वाले स्थान के बाल नहीं काटने
चाहिए। याजक को उस व्यक्ति को और सात दिन के लिए अलग
करना चाहिए। 34 सातवें दिन याजक को रोगी को देखना चाहिए।
यदि रोग चर्म नहीं फैला है और यह चर्म से गहरा नीं मालूम होता
है तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है। व्यक्ति
को अनपे वस्त्र धोने चाहिए तथा शुद्ध हो जाना चाहिए। 35 किन्तु
यदि व्यक्ति के शुद्ध हो जाने के बाद चर्म में रोग फैलता है 36 तो
याजक को फिर व्यक्ति को देखना चाहिए। यदि रोग चर्म में फैला
है तो याजक को पीले बालों को देखने की आवश्यकता नहीं है,
व्यक्ति अशुद्ध है। 37 किन्तु यदि याजक यह समझता है कि रोग का
बढ़ना रुक गया है और इसमें काले बाल उग रहे हैं तो रोग अच्छा

हो गया है। व्यक्ति शुद्ध है। याजक को घोषणा करनी चाहिए कि
व्यक्ति शुद्ध है।

38 “जब व्यक्ति के चर्म पर सफेद दाग हों, 39 तो याजक को उन
दागों को देखना चाहिए। यदि व्यक्ति के चर्म के दाग धुंधले सफेद
हैं, तो रोग केवल अहानिकारक फुंसियाँ है। वह व्यक्ति शुद्ध है।

40 “किसी व्यक्ति के चर्म पर सफेद दाग हों, 41 किसी आदमी
के सिर के माथे के बाल झड़ सकते हैं। वह शुद्ध है। यह दूसरे
प्रकार का गंजापन है। 42 किन्तु यदि उसके सिर की चमड़ी पर
लाल सफेद फुंसियाँ हैं तो यह भयानक चर्म रोग है। 43 याजक को
ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए। यदि छूत ग्रस्त त्वचा की सूजन
लाली युक्त सफेद है और कुष्ठ की तरह शरीर के अन्य भागों पर
दिखाई पड़ रही है 44 तो उस व्यक्ति के सिर की चमड़ी पर भयानक
चर्मरोग है। व्यक्ति अशुद्ध है, याजक को घोषणा करनी चाहिए।
45 यदि किसी व्यक्ति को भयानक चर्मरोग हो तो उस ब्यक्ति को
अन्य लोगों को सावधान करना चाहिए। उस व्यक्ति को जोर से
‘अशुद्ध! अशुद्ध! कहना चाहिए, उस व्यक्ति के वस्त्रों को, सिलाई
से फाड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को, अपने बालों को सँवारना नहीं
चाहिए और उस व्यक्ति को अपना मुख ढकना चाहिए। 46 जो व्यक्ति
अशुद्ध होगा उसमें छूत का रोग सदा रहेगा। वह व्यक्ति अशुद्ध है।
उसे अकेल रहना चाहिए। उनका निवास डेरे से बाहर होना चाहिए।

47-48 “कुछ वस्त्रों पर फफूँदी लग सकती हैं। वस्त्र सन का या
ऊनी हो सकता है। वस्त्र बुना हुआ या कढ़ा हुआ हो सकता है।
फफूँदी किसी चमड़े या चमड़े से बनी किसी चीज पर हो सकती है।
49 यदि फफूँदी हरी या लाल हो तो उसे याजक को दिखाना चाहिए।
50 याजक को फफूँदी देखनी चाहिए। उसे उस चीज को सात दिन
तक अलग स्थान पर रखना चाहिए। 51-52 सातवें दिन, याजक को
फफूँदी देखनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि फफूँदी चमड़े या
कपड़े पर है। यह महत्वपूरण नहीं कि वस्त्र बुना हुआ या कढ़ा हुआ

है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि चमड़े का उपयोग किस लिए किया गया था। यदि फफूँदी फैलती है तो वह कपड़ा या चमड़ा अशुद्ध है। वह फफूँदी अशुद्ध है। याजक को उस कपड़े या चमड़े को जला देना चाहिए।

53 "यदि याजक देखे कि फफूँदी फैली नहीं तो वह कपड़ा या
चमड़ा धोया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं कि यह चमड़ा है
या कपड़ा, अथवा कपड़ा बुना हुआ है या कढ़ा हुआ, इस धोना
चाहिए। 54 याजक को लोगों को यह आदेश देना चाहिए कि वे
चमड़े या कपड़े के टुकड़ों को धोएं, तब याजक वस्त्रों को और
सात दिनों के लिए अलग करे। 55 उस समय के बाद याजक को
फिर देखना चाहिए। यदि फफूँदी ठीक वैसी ही दिखाई देती है तो
वह वस्तु अशुद्ध है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि छूत फैली नहीं है।
तुम्हें उस कपड़े या चमड़े को जला देना चाहिए।

56 "किन्तु यदि याजक उस चमड़े को देखता है कि फफूँदी युक्त
दाग को चमड़े या कपड़े से फाड़ देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं
कि कपड़ा कढ़ा हुआ है या बारीक बुना हुआ है। 57 किन्तु फफूँदी
उस चमड़े या कपड़े पर लौट सकती है। यदि ऐसा होता है तो फफूँदी
बढ़ रही है। उस चमड़े या कपड़े को जला देना चाहिए। 58 किन्तु
यदि धोने के बाद फफूँदी न लौटे, तो वह चमड़ा या कपड़ा शुद्ध है।
इसका कोई महत्व नहीं कि कपड़ा कढ़ा हुआ या बुना हुआ था।
वह कपड़ा शुद्ध है।"

59 चमड़े या कपड़े पर की फफूँदी के विषय में ये नियम हैं। इसका
कोई महत्व नहीं कि कपड़ा कढ़ा हुआ है या बुना हूआ है।

14

भयानक चर्म रोगी को शुद्ध करने के नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “ये उन लोगों के लिए नियम हैं जिन्हें
भयानक चर्म रोग था और जो स्वस् हो गए। ये नियम उस व्यक्ति
को शुद्ध बनाने के लिए है।

“याजक को उस व्यक्ति को देखान चाहिए जिसे भयानक चर्म रोग
है। 3 याजक को उस व्यक्ति के पास डेरे के बाहर जाना चाहिए।
याजक को यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह चर्म रोग
अच्छा हो गाय है। 4 यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो याजक उसे यह करने
को कहेगा: उसे दो जीवित शुद्ध पक्षी, एक देवदारू की लकड़ी,
लाल कपड़े का एक टुकड़ा और एक जूफा का पौधा लाना चाहिए।
5 याजक को बहते हुए पानी के ऊपर मिट्टी के एक कटोरे में एक
पक्षी को मारने का आदेश देना चाहिए। 6 तब याजक दूसरे पक्षी
को ले, जो अभी जीवित है औ देवदारू की लकड़ी, लाल कपड़े
के टुकड़े और जूफा का पौधा ले। याजक को जीवित पक्षी और
अन्य चीज़ों को बहते हुए पानी के ऊपर मारे गए पक्षी के ख़ून में
डूबाना चाहिए। 7 याजक उस व्यक्ति पर सात बार ख़ून छिड़केगा
जिसे भायनक चर्म रोग है। तब याजक को घोषित करना चाहिए
कि वह व्यक्ति सुद्ध है। तब याजक को खुले मैदान में जाना चाहिए
और जीवित पक्षी को उड़ा देना चाहिए।

8 “इसके बाद उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। उसे अपने
सारे बाल काट डालने चाहिए और पानी से नहाना चाहिए। वह शुद्ध
हो जाएगा। तब वह व्यक्ति डेरे में जा सकेगा। किन्तु उस अपने
खेमे के बाहर सात दिन तक रहना चाहिए। 9 सातवें दिन उसे अपने
सारे बाल काट डालने चाहिए। उसे अपने सिर, दाढ़ी, भौंहों के सभी
बाल कटवा लेने चाहिए। तब उसे अपने कपड़े धोने चाहिए और
पानी से नहाना चाहिए। तब वह व्यक्ति शुद्ध होगा।

10 “आठवें दिन उस व्यक्ति को दो नर मेमने लेने चाहिए जिनमें
कोई दोष न हो। उसे एक वर्ष की एक मादा मेमना भी लेनी चाहिए
जिसमें कोई दोष न हो। उसे छ: क्वार्ट* तेल मिला उत्तम महीन

---
* **14:10:** छ: क्वार्ट 3/10 एपा।

आटा लेना चाहिए। यह आटा अन्नबलि के लिए है। व्यक्ति को दो
तिहाई पिन्ट† जैतून का तेल लेना चाहिए। 11 (याजक को घोषणा
करनी चाहिए कि वह व्यक्ति शुद्ध है।) याजक को उस व्यक्ति और
उसकी बलि को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के सामने
लाना चाहिए। 12 याजक नर मेमनों में से एक को दोषबलि के रूप
में चढ़ाएगा। वह उस मेमनों और उस तेल को यहोवा के सामने
उत्तोलन बलि के रूप में चढ़ाएगा। 13 तब याजक नर मेमने को उसी
पवित्र स्थान पर मारेगा जहाँ वे पापबलि और होमबलि को मारते
हैं। दोषबलि, पापबलि के समान है। यह याजक की है। यह अत्यन्त
पवित्र है।

14 "याजक दोषबलि का कुछ खून लेगा और फिर याजक इसमें
से कुछ खून शुद्ध किये जाने वाले व्यक्ति के दाएँ कान के निचले
सिरे पर लागएगा। याजक कुछ खून उस व्यक्ति के हाथ के दाएँ
अंगूठे और दाएँ पैर के अंगूठे पर लगाएगा। 15 याजक कुछ तेल
भी लेगा और अपनी बाँयी हथेली पर डालेगा। 16 तब याजक अपने
दाएँ हाथ की ऊँगलियाँ अपने बाएँ हाथ की हथेली में रखे हुये तेल में
डुबाएगा। वह अपनी उँगली का उपयोग कुछ तेल यहोवा के सामने
सात बार छिड़कने के लिए करेगा। 17 याजक अपनी हथेली का
कुछ तेल शुद्ध किये जाने वेला व्यक्ति के दाएँ कान के निचले सिरे
पर लगाएगा। याजक कुछ तेल उस व्यक्ति के दाएँ हाथ के अंगूठे
और दाएं पैर के अंगूठे पर लागाएगा। याजक कुछ तेल दोषबलि के
खून पर लगाएगा।‡ 18 याजक अपनी हथेली में बचा हुआ तेल शुद्ध
किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगाएगा। इस प्रकार याजक उस
व्यक्ति के पाप का यहोवा के सामने भुगता न करेगा। 19 "उसके
बाद याजक पापबलि चढ़ाएगा और व्यक्ति के पापों का भुगतान
करेगा जिससे वह शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात याजक होमबलि

† **14:10:** दो तिहाई पिन्ट "एक लोज।" ‡ **14:17:** याजक ... लगाएगा अर्थात् तेल उस खून के ऊपर लगाया जाता है जो व्यक्ति के कान, अंगूठे और पैर के अंगूठे पर लगा था।

के लिए जानवर को मारेगा। 20 तब याजक होमबलि और अन्नबलि
को वेदी पर चढ़ाएगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का
भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जायेगा।

21 "किन्तु यदि व्यक्ति गरीब है और उन बलियों को देने में
असमर्थ है तो उसे एक मेमना दोषबलि के रूप में लेना चाहिए। यह
उत्तोलनबलि होगी जिससे याजक उसके पापों के भुगतान के लिए
देघा। उसे दो क्वार्ट§ तेल मिला उत्तम महीन आटा लेना चाहिए।
यह आटा अन्नबलि के रूप में उपयोग में आएगा। व्यक्ति को दो
तिहाई पिन्ट जैतून का तेल 22 और दो फ़ाख्ते या दो कबूतर के बच्चे
लेने चाहिए। इन चीज़ों को देने में गरीब लोग भी समर्थ होंगे। एक
पक्षी पापबलि के लिए होगा और दूसरा होमबलि का होगा।

23 "आठवें दिन, वह व्यक्ति उन चीज़ों को याजक के पास
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाएगा। वे चीज़ें यहोवा के सामने बलि
चढ़ाई जाएंगी जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। 24 याजक, दोषबलि के
रूप में तेल और मेमने को लेगा। तथा यहोवा के सामने उत्तोलनबलि
के रूप में चढ़ाएगा। 25 तब याजक दोषबलि के मेमने को मारेगा।
कुछ खून शुद्ध बनाए जाने वाले व्यक्ति के दाएँ कान के निचले सिरे
पर लगाएगा। याजक इसमें से कुछ खून इस व्यक्ति के दाएँ हाथ के
अंगूठे और दाएँ पैर के अंगूठे पर लगाएगा। 26 याजक इस तेल में से
कुछ अपनी बायीं हथेली में भी डालेगा। 27 याजक अपने दाएँ हाथ
की उँगली का उयोग अपनी हथेली के तेल को यहोवा के सामने
सात बार छिड़कने के लिए करेगा। 28 तब याजक अपनी हथेली के
कुछ तेल को शुद्ध बनाए जाने वाले व्यक्ति के दाएँ कान के सिरे पर
लगाएगा। याजक इस तेल में से कुछ तेल व्यक्ति के दाएँ हाथ के
अंगूठे और उसके दाएँ पैर के अंगूठ पर लगाएगा। याजक दोषबलि
के खून लगे स्थान पर इसमें से कुछ तेल लगाएगा। 29 याजक को
अपनी हथेली के बचे हुये तेल को शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के

§ **14:21:** दो क्वांट "1/10 एपा।"

सिर पर डालना चाहिए। इस प्रकार यहोवा के सामने याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा।

30 “तब व्यक्ति फाख्तों में से एक या कबूतर के बच्चों में से एक की बलि चढ़ाएगा। गरीब लोग भी इन पक्षियों को भेंट करने में समर्थ होंगे। 31 व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बलि चढ़ानी चाहिए। उसे पक्षियों में से एक को पापबलि के रूप में चढ़ाना चाहिए औ दूसरे पक्षी को होमबलि के रूप में उसे उनकी अन्नबलि के साथ भेंट चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार याजक यहोवा के सामने उस व्यक्ति के पाप का भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा।”

32 ये भयानक चर्मरोग के ठीक होने के बाद किसी एक व्यक्ति के लिए हैं जो शुद्ध करने के नियम हैं। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो शुद्ध होने के लिए सामान्य बलियों का व्यय नहीं उठा सकते।

घर में लगी फफूँदी के लिए नियम

33 यहोवा ने मूसा और हारून से यह भी कहा, 34 “मैं तुम्हारे लोगों को कनान देश दे रहा हूँ। तुम्हारे लोग इस भूमि पर जाएंगे। उस समय मैं हो सकता है, कुछ लोगों के घरों में फफूँदी लगा दूँ। 35 तो उस घर के मालिक को याजक के पास आकर कहन चाहिए, ‘मैंने अपने घर में फफूँदी जैसी कोई चीज देखी है।’

36 “तब याजक को आदेश देना चाहिए कि घर को खाली कर दिया जाय। लोगों को याजक के फफूँदी देखने जाने से पहले ही यह करना चाहिए। इस तरह घर घर की सभी चीज़ों को याजक को असुद्ध नहीं कहना पड़ेगा। लोगों द्वारा घर खाली कर दिए जाने पर याजक घर में देखने जाएगा। 37 याजक फफूँदी को देखेगा। यदि फफूँदी ने घर की दीवारों पर हरे या लाल रंग के चकत्ते बना दिए हैं और फफूँदी दीवार की सतह पर बढ़ रही है, 38 तो याजक को घर से बाहर निकल आना चाहिए और सात दिन तक घर बन्द कर देना चाहिए।

39 “सातवें दिन, याजक को वहाँ लौटना चाहिए और घर की जाँच
करनी चाहिए। यदि घर की दीवारों पर फफूँदी फैल गई हो 40 तो
याजक को लोगोंको आदेश देना चाहिए कि वे फफूँदी सहित पत्थरों
को उखाड़ें और उन्हें दूर फेंग दें। उन्हें उन पत्थरों को नगर से बाहर
विशेष अशुद्ध स्थान पर फेंकना चाहिए। 41 तब याजक को पूरे घर
को अन्दर से खुरचवा डालना चाहिए। लोगों को उस लेप को जिसे
उन्होंने खुरचा है, फेंक देना चाहिए। उन्हें उस लेप को नगर के बाहर
विशेष अशुद्ध स्थान पर डालना चाहिए। 42 तब उरस व्यक्ति को नए
पत्थर दीवारों में लगाने चाहिए और उसे उन दीवारों को नए लेप से
ढक देना चाहिए।

43 “सम्भव है कोई व्यक्ति पुराने पत्थरों और लेप को निकाल
कर नेय पत्थरों और लेप को लगाए और सम्भव है वह फफूँदी उस
घर में फिर प्रकट हो। 44 तब याजक को आकर उस घर की जाँच
करनी चाहिए। यदि फफूँदी घर में फैल गी हो तो यह रोग है जो
दूसरी जगहों में जल्दी से फैलता है। अत: घर अशुद्ध है। 45 उस
व्यक्ति को वह घर गिरा देना चाहिए। उन्हें सारे पत्थर, लेप तथा
अन्य लकड़ी के टुकड़ों को नगर से बाहर अशुद्ध स्थान पर ले जान
चाहिए 46 और कोई व्यक्ति जो उसमें जाता है, सन्ध्या तक अशुद्ध
रहेगा। 47 यदि कोई व्यक्ति उसमें भोजन करता है या उसमें सोता है
तो उस व्यक्ति को अनपे वस्त्र धोने चाहिए।

48 “घर में नये पत्थर और लेप लगाने के बाद याजक को घर
की जाँच करनी चाहिए। यदि फफूँदी घर में नहीं फैली है तो याजक
घोषणा करेगा की घर शुद्ध है। क्यों? क्योंकि फफूँदी समाप्त हो गई
है!

49 “तब, घर को शुद्ध करने के लिए याजक को दो पक्षी, एक
देवदारू की लकड़ी, एक लाल कपड़े का टुकड़ और जूफा का
फौधा लेना चाहिए। 50 याजक बहते पानी के ऊपर मिट्टी के कटोरे
में एक पक्षी को मारेगा। 51 तब याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा

का पौधा, लाल कपड़े का टुकड़ा और जीवित पक्षी को लेगा।
याजक बहते जल के ऊपर मारे गए पक्षी के खून में उन चीज़ों को
डुबाएगा। तब याजक उस खून को उस घर पर सात बार छिड़केगा।
52 इस प्रकार याजक उन चीज़ों का उपयोग घर को शुद्ध करने के
लिए करेगा। 53 याजक खुले मैदान में नगर के बाहर जाएगा और
पक्षी को उड़ा देगा। इस प्रकार याजक घर को शुद्ध करेगा। घर शुद्ध
हो जाएगा।"

54 वे नियम भयानक चर्मरोग के, 55 घर या कपड़े के टुकड़ों पर
की फफूँदी के बारे में है। 56 वे नियम सूजन, फुंसियों या चर्मरोग पर
सफेद दाग से सम्बन्धित हैं। 57 वे नियम सिखाते हैं कि चीजे कब
अशुद्ध हैं तथा कब शुद्ध हैं। वे नियम उस प्रकार की बिमारियों से
सम्बन्धित हैं।

15

शरीर से बहने वाले स्रवों के नियम

1 यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 2 "इस्राएल के लोगों से
कहोः जब किसी व्यक्ति के शरीर से धात का स्राव है तब वह
व्यक्ति अशुद्ध होता है। 3 वह धात शरीर से खुला बहता है या शरीर
उसे बहने से रोक देता है इसका कोई महत्व नहीं।

4 "यदि धात त्याग करने वाला बिस्तर पर लोया रहात है तो वह
बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। जिस चीज़ पर भी वह बैठता है वह
अशुद्ध हो जाता है। 5 यदि कोई व्यक्ति उसके बिस्तर को छूता भी
है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना और पानी से नहाना चाहिए। वह
सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 6 यदि कोई व्यक्ति उस चीज़ पर बैठाता
है जिस पर धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो उसे सन्ध्या
तक अशुद्ध रहेगा। 7 यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को छूता है जिसने
धात त्या किया है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते
पानी में नहाना चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 8 यदि धत
त्याग करने वाल व्यक्ति किसी शुद्ध व्यक्ति पर थूकता है तो शुद्ध

व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए तथा नहाना चाहिए। यह व्यक्ति
सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 9 पशु पर बैठने की कोई काठी जिस पर
धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो वह अशुद्ध हो जाएगी।
10 इसलिए कोई व्यक्ति जो धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे
रहने वाली किसी चीज़ को छूता है, सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो
व्यक्ति धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे की चीज़ें ले जाता है
उसे अपने पस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते पानी में नहाना चाहिए।
वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 11 यह सम्भव है कि धात त्याग करने
वाल व्यक्ति पानी में हाथ धोए बिना किसी अनय् व्यक्ति को छूए।
तब दूसरा व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोए और बहते पानी में नहाए।
वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

12 “धात त्याग करने वाला व्यक्ति यदि मिट्टी का कटोरा छूए तो
वह कटोरा पोड़ देना चाहिए। यदि धात त्याग करने वाला व्यक्ति
कोई लकड़ी का कटोरा छूए तो उस कटोरे को बहते पानी में अच्छी
तरह धोना चाहिए।

13 “जब धात त्याग करने वाला कोई व्यक्ति अपने धात त्याग से
शुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए उस दिन से सात
दिन गिनने चाहिए। तब उसे अपने वस्त्र दोने चाहिए और बहते पानी
में नहाने चाहिए। तब उसे अपने वस्त्र धोने चाहिए और बहते पानी
में नहाना चाहिए। वह शुद्ध हो जाएगा। 14 आठवें दिन उस व्यक्ति
को दो फ़ाख्ते या दो कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे मिलापवाले
तम्बू के द्वार पर यहोवा के सामने आना चाहिए। वह व्यक्ति दो
पक्षी याजक को देगा। 15 याजक पक्षियों की बलि चढ़ाएगा। एक
को पापबलि के लिए तथा दूसरे को होमबलि के लिये। इस प्रकार
याजक इसे व्यक्ति को यहोवा के सामने उस के धात त्याग से हुई
अशुद्धता से शुद्ध करेगा।

16 “यदि व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है तो उसे सम्पूर्ण शरीर से
बहते पानी में नहाना चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 17 यदि
वीर्य किसी वस्त्र या चमड़े पर गिरे तो वह वस्त्र या चमड़ा पानी में

धोना चाहिए। यह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 18 यदि कोई व्यक्ति
किसी स्त्री के साथ सोता है और वीर्य निकलता है तो स्त्री पुरुष
दोनों को सबहते पानी में नहाना चाहिए। वे सन्ध्या तक अशुद्ध
रहेंगे।

19 “यदि कोई स्त्री मासिक रक्त स्राव के समय मासिक धर्म से है
तो वह सात दिन तक अशुद्ध रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उसे छूता है
तो वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 20 अपने मासिकधर्म के
समय स्त्री जिस किसी चीज़ पर लेटेगी, वह भी अशुद्ध होगी और
उस समय में जिस चीज़ पर वह बैठेगी, वह बी अशुद्ध होगी। 21 यदि
कोई व्यक्ति उस स्त्री के बिस्तर को छूता है तो उसे अनपे वस्त्रों को
बहते पानी में धोना और नहाना चाहिए। वह सन्धया तक अशुद्ध
रहागा। 22 यदि कोई व्यक्ति उस चीज़ को छूता है जिस पर वह स्त्री
बैठी हो तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र बहते पानी में धोने चाहिए
और नहाना चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहाग। 23 वह व्यक्ति
स्त्रि के बिस्तर को छूता है या उस चीज़ को छूता है जिस पर वह
बैठी हो, तो वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

24 “यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के समय
यौन सम्बन्ध करता है तो वह व्यक्ति सात दिन तक अशुद्ध रहेगा।
हर एक बिस्तर जिस पर वह सोता है, अशुद्ध होगा।

25 “यदि किसी स्त्री को कई दिन तक रक्त स्राव रहता है जो
उसके मासिकधर्म के समय नहीं होता, या निश्चित समय के बाद
मासिकधर्म हो ता है तो वह उसी प्रकार अशुद्ध होगी जिस प्रकार
मासिकधर्म के समय और तब तक अशुद्ध रहेगी जब तक रहेगा।

26 पूरे रक्त स्राव के समय वह स्त्री जिस बिस्तर पर लेटेगी, वह
वैसा ही होगा जैसा मासिकधर्म के समय। जिस किसी चीज़ पर वह
स्त्री बैठेगी, वह वैसे ही अशुद्ध होगी जैसे वह मासिकधर्म क अशुद्ध
होती है। 27 यदि कोई व्यक्ति उन चीज़ों को छूता है तो वह अशुद्ध
होगा। इस व्यक्ति को बहते पानी से अपने कपड़े धोने चाहिए तथा

नाहा चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। 28 उसके बाद जब स्त्री
अपने मासिकधर्म से अशुद्ध हो जाती है तब से उसे सात दिन गिनने
चाहिए। इसके बाद वह शुद्ध होगी। 29 फिर आठवें दिन उसे दो
फ़ाख्ते और दो कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे उन्हें मिलापवाले
तम्बू के द्वार पर याजक के पास लाना चाहिए। 30 तब याजक को
एक पक्षी पापबलि के रूप में तथा दूसरे को होमबलि के रूप में
चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वह याजक उसे यहोवा के सामने उसके
स्राव से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध करेगा।

31 "इसलिए तुम इस्राएल के लोगों को अशुद्ध होने और उनको
अशुद्धि से दूर रहने के बारे में सावधान करना । यदि तुम लोगों को
सावधान नहीं करते तो वे मेरे पवित्र तम्बू को अशुद्ध कर सकते हैं
और तब उन्हें मरना होगा!"

32 ये नियम धात त्याग करने वाले लोगों के लिए हैं। ये नियम उन
व्यक्तियों के लिए हैं जो वीर्य के शरीर से बाहर निकलने से अशुद्ध
होते हैं 33 और ये नियम उन स्त्रियों के लिए हैं जो अपने मासिकधर्म
क रक्त स्राव के समय अशुद्ध होती है और वे नियम उन पुरुषों के
लिए है जो अशुद्ध स्त्रियों के साथ सोने से अशुद्ध होते हैं।

16

पाप से निस्तार का दिन

1 हारून के दो पुत्र यहोवा को सुगन्ध भेंट चढ़ाते समय मर गए
थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "अपने भाई हारून से बात करो
कि वह जब चाहे तब पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान में नहीं जा
सकता है। उस पर्दे के पीछे जो कमरा है उसमें पवित्र सन्दूक रखा
है। उस पवित्र सन्दूक के ऊपर उसका विशेष ढक्कन लगा है। उस
विशेष ढक्कन के ऊपर एक बादल में मैं प्रकट होता हूँ। यदि हारून
उस कमरे में जाता है तो वह मर जायेगा!

3 "पापसे निस्तार के दिन पवित्र स्थान में जाने के पहले हारून
को पापबलि के रूप में एक बछड़ा और होमबलि के लिए एक

मेढ़ा भेंट करना चाहिए।
4 हारून अपने पूरे शरीर को पानी डालकर
धोएगा। तब हारून इन वस्त्रों को पहनेगा: हारून पवित्र सन के वस्त्र पहनेगा। सन के निचले वस्त्र शरीर से सटे होगें। उसकी पेटी सन का पटुका होगी। हारून सन की पगड़ी बाँधेगा। ये पवित्र वस्त्र है।

5 "हारून को इस्राएल के लोगों से दो बकरे पापबलि के रूप में
और एक मेढ़ा होमबलि के लिए लेना चाहिए।
6 तब हारून बैल
की पापबलि चढ़ाएगा। यह पापबलि उसके अनपे लिए और उसेक परिवार के लिए है। तब हारून वह उपासना करेगा जिसमें वह औ उसका परिवार शुद्ध होंगे।

7 "इसके बाद हारून दो बकरे लेगा और मिलापवाले तुमबू के
द्वार पर यबोवा के सामने लाएगा।
8 हारून दोनों बकरों के लिए चिट्ठी
डालेगा। एक चिट्ठी यहोवा के लिए होगी। दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए होगी।

9 "तब हारून चिट्ठी डालकर यहोवा के लिए चुने गए बकरे की
भेंट चढ़ाएगा। हारून को इस पगरे को पापबलि के लिये चढ़ाना
चाहिए।
10 किन्तु चिट्ठी डालकर अजाजेल के लिए चुना गया बकरा
यहोवा के सामने जीवित लाया जाना चाहिए। याजक उसे शुद्ध बनाने के लिये उपासना करेगा। तब यह बकरा मरुभूमि में अजाजेल के पास भेजा जाएगा।

11 "तब हारून अपने लिये बैल को पापबलि के रूप में चढ़ाएगा।
हारून अपने आप को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा। हारुन
बैल को अपने लिए पापबलि के रूप में मारेगा।
12 तब उसे आग
के लिए एक तसला वेदी के अंगारों से भरा हुआ यहोवा के सामने लाना चाहिए। हारून दो मुट्ठी वह मधुर सुगन्धि धूप लेगा जो बारीक पीसी गिई है। हारून को पर्दे के पीछे कमरे में उस सुगन्धित को
आग में डालना चाहिए।
13 तब सुगन्धित धूप के धुएँका बादन
साक्षीपत्र के ऊपर के विशेष ढक्कन को ढक लेगा। इस प्रकार हारून
नहीं मरेगा।
14 साथ ही साथ हारून को बैल का कुछ खून लेना

चाहिए और उसे अपनी उँगली से उस विशेष ढक्कन के पूर्व की ओर छिड़कना चाहिए। इस के सामने वह अपनी ऊँगली से सात बार खून छिड़केगा।

15 "तब हारून को लोगों के लिए पापबलि स्वरूप बकरे को मारना चाहिए। रहारून को बकरे का खून पर्दे के पीछे कमरे में लाना चाहिए। हारून को बकरे के खून से वैसा ही करना चाहिए जैसा बैल के खून से उसने किया। हारून को उस ढक्कन पर और ढक्कन के साने बकरे का खून छिड़कना चाहिए।
16 ऐसा अनक बार हुआ जब इस्राएल के लोग अशुद्ध हुए। इसलिए हारून इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप से महापवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए उपासना करेगा। हारून को ये काम क्यों करना चाहिए क्योंकि मिलापवाला तम्बू अशुद्ध लोगों के बीच में स्थित है।

17 "जिस समय हारून महापवित्र स्थान को शुद्ध करे, उस समय कोई व्यक्ति मिलापवाले तम्बू में नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके भीतर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हारून बाहर न आ जाय। इस प्रकार हारून अपने को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा और तब इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करेगा।
18 तब हारून वेदी को शुद्ध करेगा। हारून बैल का कुछ खून और कुछ बकरे काखून लेकर वेदी के कोनों पर चारों ओर लगाएगा।
19 तब हारून कुछ खून अपनी ऊँगली से वेदी पर सात बार छिड़गा। इस प्रकार हारून इस्राएल के लोगों के सभी पापों से वेदी को शुद्ध और पवित्र करेगा।

20 "हारून महापवित्र स्थान, मिलापवाले तम्बू तथा वेदी को पवित्र बनाएगा। इन कामों के बाद राहून यहोवा के पास बकरे को जीवित लाएगा।
21 हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखेगा। तब हारून बकरे के ऊपर इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप को कबूल करेगा। इस प्रकार हारून लोगों के पापों को बकरे के सिर पर डालेगा। तब वह बकरे को दूर मरुभूमि

में भेजेगा. एक व्यक्ति बगल में बकरे को ले जाने के लिए खड़ा
रहेगा। 22 इस प्रकार बकरा सभी लोगों के पाप अपने ऊपर सूनी
मरुभूमि में ले जाएगा। जो व्यक्ति बकरे को ले जाएगा वह मरुभूमि
में उसे खुला छोड़ देगा।

23 "तब हारून मिलापवाले तम्बू में जाएगा। वह सन के उन वस्त्रों
को उतारेगा जिन्हें उसने महपवित्र स्थान में जाते समय पहना था।
उसे उन वस्त्रों को वहीं छोड़ना चाहिए। 24 वहअपने पूरे शरीर को
पवित्र स्थान में पानी डालकर धोएगा। तब वह अपने अन्य विशेष
वस्त्रों को पहनेगा। वह बाहर आएगा और अपने लिये होमबलि
और लोगों के लिये होमबलि चढ़ाएगा। वह अनपे को तथा लोगों
को पापों से मुक्त करेगा। 25 तब वह वेदी पर पापबलि की चर्बी को
जलाएगा।

26 "जो व्यक्ति बकरे को अजाजेल के पास ले जाए, उस अपने
वस्त्र तथा अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। सके
बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकता है।

27 "पापबलि के बैल और बकरे को डेरे के बाहर ले जाना चाहिए।
(उन जानवरों का खून पवित्र स्थान में पवित्र चीज़ों को शुद्ध करने
के लिए लाया गया था।) याजक उन जानवरों का चमड़ा, शरीर
और शरीर मल आग में जलाएगा। 28 तब उन चीज़ों को जलाने
वाले व्यक्ति को अपने वस्त्र और पूरे शरीर को पानी डालकर धोना
चाहिए। उसके बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकात है।

29 "यह नियम तुम्हारे लिए सदैव रहैगा: सातवें महीने के दसवें
दिन तुम्हें उपवास करना चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना
चाहिए। तुम्हारे साथ रहने वाले यात्री या विदेशी भी कोई काम
नहीं कर सगेंगे। 30 क्यों क्योंकि इस दिन याजक तुमहें शुद्ध करता
है और तुम्हारे पापों को धोता है। तब तुम यहोवा के लिए शुद्ध होंगे।
31 यह दिन तुम्हारे लिए आराम करने का विशेष दिन है। तुम्हें इस
दिन उपवास करना चाहिए। यह नियम सदैव के लिए होगा।

32 “सो वह पुरुष जो महायाजक बनने के लिए अभिषिक्त है,
वस्तुओं को शुद्ध करने की उपासना को सम्पन्न करेगा। यह वही
पुरुष है जिसे उसके पिता की मृत्यु के बाद महायाजक के रूप में
सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। उस याजक को सन के पवित्र
वस्त्र धारण करने चाहिए। 33 उसे पवित्र स्थान, मिलापवाले तम्बू
और वेदी को शुद्ध करना चाहिए और उसे याजक और इस्राएल के
सभी लोगों को शुद्ध करना चाहिए। 34 इस्राएल के लोगों को शुद्ध करे
का यह नियम सदैव रहेगा। इस्राएल के लोगों के पाप के निस्तार
के लिए तुम उन क्रियाओं को वर्ष में एक बार करोगे।”

इसलिए उन्होंने वही किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया
था।

17

जानवरों को मारने और खाने के नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “हारून, उसके पुत्रों और इस्राएल के
सभी लोगों से कहो। उनको कहो कि यहोवा ने यह आदेश दिया
है: 3 कोई इस्राएली व्यक्ति किसी बैल या मेमने या बकरे को डेरे
में या डेरे के बाहर मार सकता है। 4 वह व्यक्ति उस जानवर को
मिलापवाले तम्बू में भेंट के रूप में देना चाहिए। उस व्यक्ति ने खून
बहाया है, मारा है इसलिए उसे यहोवा के पवित्र तम्बू में भेंट ले
जानी चाहिए। यदि वह जानवर के भाग को भेंट के रूप में यहोवा
को नहीं ले जाता तो उस अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए।
5 यह नियम इसलिए है कि लोग मेलबलि यहोवा को अर्पित करें।
इस्राएल के लोगों को उन जानवरों को लाना चाहिए जिन्हें वे मैदानों
में मारते हैं। उन्हें उन जानवरों को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाना
चाहिए। उन्हें उन जानवरों को याजक के पास लाना चाहिए। 6 तब
याजक उन जानवरों का खून मिलापवाले तम्बू के द्वार के समीप
यहोवा की वेदी तक फेंकेगा और याजक उन जानवरों की चर्बी को
वेदी पर जलाएगा। यह यहोवा के लिए मधुर सुगन्ध होगी। 7 उन्हें
आगे अब कोई भी भेंट ‘बकरे की मूर्तियों’ को नीहं चढ़ानी चाहिए।

ये लोग उन अन्य देवताओं के पीछे लग चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने
वेश्याओं जैसा काम किया है। ये नियम सदैव ही रहेंगे!
8 "लोगों से कहो: इस्राएल का कोई नागरिक, या कोई यात्री, या
कोई विदेशी जो तुम लोगों के बीच रहता है, होमबलि या बलि चढ़ा
सकता है। 9 उस व्यक्ति को वह बलि मिलावाले तम्बू के द्वार पर ले
जानी चाहिए और उसे यहोवा को चढ़ानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति
ऐसा नहीं करता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए।
10 "मैं (परमेश्वर) हर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होऊँगा जो खून खाता
है। चाहे वह इस्राएल का नागरिक हो या वह तुम्हारे बीच रहने वाला
कोई विदेशी हो । मैं उसे उसके लोगों से अलग करूँगा। 11 क्यों?
क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है। मैंने तुम्हें उस खून को वेदी पर
डालने का नियम दिया है। तुम्हें अपने को शुद्ध करने के लिए यह
करना चाहिए। तुम्हें वह खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा
जो तुम लेते हो। 12 इसलिए मैं इस्राएल के लोगों से कहता हूँ: तुममें
से कोई खून नहीं खा सकता और नही तुम्हारे बीच रहने वाला कोई
विदेशी खून खा सकता है।
13 "यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी खून खा सकता है। यदि कोई
व्यक्ति किसी जंगली जानवर या पक्षी को पकड़ता है जिसे खाया जा
सेक तो उस व्यक्ति को खून जमीन पर बह देना चाहिए और मिट्टी
से उसे ढक देना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति इस्राएल का नागरिक हो
या तुम्हारे बीच रहने वाले विदेशी। 14 तुम्हें यह क्यों करना चाहिए?
क्योकि यदि खून तब भी माँस में है तो उस जानवर का प्राण भी
माँस में है। इसलिए मैं इस्राएल के लोगों को आदेश देता हूँ उस माँ
को मत खाओ जिसमं खून हो! कोई भी व्यक्ति जो खून खाता है
अपने लोगों से अलग कर दिया जाए।
15 "यदि कोई व्यक्ति अपने आप मरे जानवर या किसी दूसरे
जानवर द्वारा मारे गए जानवर को खाता है तो वह व्यक्ति सन्ध्या
तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को अपने वस्त्र और अपना पूरा

शरीर पानी से धोना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति इस्राएल का नागरिक
हो या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी। 16 यदि वह व्यक्ति
अपने वस्त्रों को नहीं धोता और न ही नहाता है तो वह पाप करने
का अपराधी होगा।”

18

यौन सम्बन्धों के बारे में नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “इस्राएल के लोगों से कहोः मैं तुम्हारा
परमेश्वर यहोवा हूँ। 3 यहाँ आने के पहले तुम लोग मिस्र में थे। तुम्हें
वह नहीं करना चाहिए जो वहाँ हुआ करता था! मैं तुम लोगों को
कनान ले जा रहा हूँ। तुम लोगों को वह नहीं करना है जो उस देश में
किया जाता है! 4 तम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। और मेरे
नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के अनुसार चलना
चाहिए। उन नियमों के पालन में सावधान रहो! क्यों? क्योंकि मैं
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 5 इसलिए तुम्हें मेरे नियमों और निर्णयों
का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे विधियों और नियमों
का पालन करता है तो वह जीवित रहेगा! मैं यहोवा हूँ!

6 “तुम्हें अपने निकट सम्बन्धियों से कभी यौन सम्बन्ध नहीं
करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!

7 “तुम्हें अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् तुम्हें
अपनी माता के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। 8 तुम्हें अपनी
विमाता से भी यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। पिता की पत्नी से
यौन सम्बन्ध केवल तुम्हारे पिता के लिए है।

9 “तम्हें अपने पिता या माँ की पुत्री अर्थात् अपनी बहन से यौन
सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। इससे अन्तर नहीं पड़ता कि तुम्हारी
उस बहन का पालन पोषण तुम्हारे घर हुआ या या किसी अन्य
जगह।

10 “तुम्हें अपने नाती पोतियों से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वे बच्चे तुम्हारे अंग हैं!*

11 “यदि तुम्हारे पिता और उनकी पत्नी की कोई पुत्री है† तो वह तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

12 “अपने पिता की बहन के साथ तुम्हारा यौन सम्बन्ध नहीं
होना चाहिए। वह तुम्हारे पिता के गोत्र की है। 13 तुम्हें अपनी माँ
की बहन के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारी
माँ के गोत्र की है। 14 तुम्हें अपने पिता के भाई का अपमान नहीं
करना चाहिए अर्थात् उसकी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध के लिए
नहीं जाना चाहिए।

15 “तुम्हें अपनी पुत्रवधू के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी है। तुम्हें उके साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

16 “तुम्हें अपने भाई की वधू के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह अपने भाई के साथ यौन सम्बन्ध रखने जैसा होगा। केवल तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध रक सकता है।‡

17 “तुम्हें किसी स्त्री और उसकी पुत्री के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस स्त्री की पोती से यौन सम्बनध नहीं रखना चाहिए। इससे अन्तर नीहं पड़ता कि वह पोती उस स्त्री के पुत्र की या पुत्री की बेटी है। उसकी पोतियाँ उसके गोत्र की हैं। उनके साथ यौन सम्बन्ध करना अनुचित है।

---

* **18:10:** वे बच्चे तुम्हारे अंग है शाब्दिक “उनकी नग्नता तुम्हारी नग्नता है।”
† **18:11:** यदि … पुत्री है इसका तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं कि पिता की पत्नी आवश्यक रुप से व्यक्ति की माँ हो, किन्तु वह व्यक्ति और पिता की पुत्री भाई बहन हैं। ‡ **18:16:** तुम्हारा भाई … है “वह तुम्हारे भाई की नग्नता है।”

18 "जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम्हें उसकी बहन को दूसरी पत्नी नहीं बनाना चाहीए। यह बहनों को परस्पर शत्रु बना देगा। तुम्हें अपनी पत्नी की बहन से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

19 "तुम्हें किसी स्त्री के पास उसके मासिकधर्म के समय यौन सम्बन्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। वह इस समय अशुद्ध है।

20 "तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी से यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें केवल अशुद्ध बनाएगा!

21 "तुम्हें अपने किसी बच्चे को आग द्वारा मोलेक को भेंट नहीं चढाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम यही दिखाते हो कि तुम अपने यहोवा के नाम का सम्मान नहीं करते! मैं यहोवा हूँ।

22 "तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है। यह भयंकर पाप है!

23 "किसी जानवर के साथ तम्हारा यौन सम्बन्द नहीं होना चाहिए। यह क्वल तुम्हें घिनौना बना देगा! स्त्री को भी किसी जानवर के साथ यौन सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यह प्राकृति के विरुद्ध है!

24 "इन अनुचित कामों में से किसी से अपनीको अशुद्ध न करो! मैं उन जातियों को उनके देश से बाहर कर रहा हूँ और मैं उनकी धरती तुम को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वे लोग वैसे भयंकर पाप करे हैं!
25 इसलिए वह देश अशुद्ध हो गया है! वह देश अब उन कामों से ऊब गाय है और वह देश उसमें रहेन वालों को बाहर निकाल फेंक रहा है!§

26 "इसलिए तुम मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करोगे। तुम्हें उन में से कोई भयंकर पाप नहीं करना चाहिए। ये नियम इस्राएल के नागरिकों और जो तम्हारे बीच रहते हैं, उनके लिए है। 27 जो लोग
तुम से पहले वहाँ रहे उन्होंने वे सभी भयंकर काम किए। जिससे

§ **18:25:** निकाल फेंक रहा है उल्टी कर रहा है।

वह धरती गन्दी हो गयी। 28 यदि तुम भी वही काम करोगे तो तुम
धरती को गंदा बनाओगे। यह तुम लोगों को वैसे ही निकाल बाहर
करेगी, जैसे तुमसे पहले रहीन वाली चातियों को किया गया। 29 यदि
कोई व्यक्ति वैसे भयंकर पाप करता है तो उस व्यक्ति को अपने
लोगों से अलग कर देना चाहिए। 30 अन्य लोगों ने उन भयंकर पापों
को किया है। किन्तु मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें उन
भयंकर पापों में से कोई भी नहीं करना चाहिए। उन भयंकर पापों
से अपने को असुद्ध मत बनाओ। मैं तम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।"

19

इस्राएल परमेश्वर का है

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "इस्राएल के सभी लोगों से कहोः कि
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ मैं पवित्र हूँ! इसलिए तुम्हें पवित्र होना
चाहिए!

3 "तुम में से हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान
करना चाहिए और मेरे विश्राम के विशेष दिनों को मानना चाहिए।
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

4 "मूर्तियों की उपासना मत करो। अनपे लिए देवताओं की मूर्तियों
धातु गला कर मत बाओ। मैं तुम लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ!

5 "जब तुम यहोवा को मेलबलि चढ़ाओ तो तो तुम उसे ऐसे
चढ़ाओ कि तुम यहोवा द्वारा स्वीकार किए जा सको। 6 तुम इसे
चढ़ाने के दिन खा सकोगे और अगले दिन भी । किन्तु यदि बलि
का कुछ भाग तीसरे दिन भी बच जाए तो उसे उसे तुम्हें आग में जला
देना चाहिए। 7 किसी भी बलि को तीसरे दिन नहीं खाना चाहिए।
यह अशुद्ध है । यह स्वीकार नहीं होगी। 8 यदि कोई व्यक्ति ऐसा
करात है तो वह अपारधी होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की
पविक्ष चीजों का सम्मान नीहं किया। उस व्यक्ति को अपने लोगों
से अलग कर दिया जाना चाहिए।

9 “जब तुम कटनी के समय अपनी फ़सल काटो तो तुम सब ओस
से खेत के कोनों तक मत काटो और यदि अन्न जमीन पर गिर जाता
है तो तुम्हें उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 10 अपने अँगूर के बाग
के सारे अंगूर न तोड़ो और जो जमीन पर गिर जाएँ उन्हें न उठाओ।
क्यों? क्योंकि तुम्हें वे चीज़ें गरीब लोगों और जो तुम्हारे देश से यात्रा
करेंगे, उनके लिए छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

11 “तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोगों को ठगना नहीं
चाहिए। तुम्हें आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। 12 तुम्हें मेरे नाम
पर झूठा वचन नहीं देना चाहिए। यदि तुन ऐसा करेत हो तो तुम यह
दिखाते हो कि तुम अनपे परमेश्वर के नाम का सम्मान नहीं करते
हो। मैं यहोवा हूँ!

13 “तुम्हें अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें उसकी
चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मजदूर की मजदूरी पूरी रात, सवेरे
तक नही रोकनी चाहिए।*

14 “तुम्हें किसी बहरे आदमी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए।
तुम्हें किसी अन्धे को गिराने के लिए उसके सामन कोई चीज नहीं
रखनी चाहिए। किन्तु तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान करना
चाहिए। मैं यहोवा हूँ!

15 “तुम्हें न्याय करने मैं ईमानदार होना चाहिए। न तो तुम्हें ग़रीब
के साथ विशेष पक्षपात करना चाहिए और न ही बड़े एवं धनी
लोगों के प्रति कोई आदर दिखाना चाहिए। तुम्हें अपे पड़ोसी के
साथ न्याय करते समय ईमानदार होना चाहिए। 16 तुम्हें अन्य लोगों
के विरुद्ध चारों ओर अफवाहें फैलाते हुए नहीं चलना चाहिए। ऐसा
कुछ न करो जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन को खतरे में डाले। मैं
यहोव हूँ!

* **19:13:** तुम्हें … चाहिये इससे यह पता चलता है कि मजदूरी पर रखे गए मजदूर को उस दिन किए गए काम की मजदूरी उसी दिन दी जाती थी।

17 "तुम्हें अपने हृदय में अपने भाईयों से घृणा नहीं करनी चाहिए।
यदि तुम्हारा पड़ोसी कुछ बुरा करता है तो इसके बारे में उसे
समझाओ। किन्तु उसे क्षमा करो! 18 लोग, जो तुम्हारा बुरा करें, उसे
भुल जाओ। उससे बदला लेना का प्रयतन न करो। अपने पड़ोसी
से वैसे ही प्रेम करो जैसे अनपे आप से करते हो। मैं यहोव हूँ!

19 "तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। दो जातियों के
पशुओं को प्रजनन के लिए आपस में मत मिलाओ। तुम्हें दो प्रकार
के बीज नहीं बोने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए।

20 "यह हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की दासी से किसी
व्यक्ति का यौन सम्बन्ध हो। यदि यह दासी न तो खरीदी गई है न
ही स्वतन्त्र कराई गई है तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। किन्तु वे
मारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्त्री स्वतन्त्र नहीं थी। 21 उस व्यक्ति
को अपने अपराध के लिए मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा को
बलि चढ़ानी चाहिए। व्यक्ति को एक मेढ़ा दोषबलि के रूप में लाना
चाहिए। 22 याजक उस व्यक्ति के पापों के भुगतान करने के लिए
उपासना करेगा। याजक यहोवा को दोषबलि के रूप में मेढ़े को
चढ़ाएगा। यह व्यक्ति के किए हुए पापों के लिए होगा। तब व्यक्ति
अपने किए पाप के लिए क्षमा किया जाएगा।

23 "भविष्य में तुम अपने प्रदेश में प्रवेश करोगे। उस समय भोजन
के लिए तुम अनेकों प्रकार के पेड़ लगाओगे। पेड़ लगाने के बाद
पेड़ के किसी फल का उपयोगकरने का लिए तुम्हें तीन वर्ष तक
प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उससे पहले के फल का उपयोग नहीं
करना चाहिए। 24 चौथे वर्ष उस पेड़ के फल यहोवा के होंगे। यह
यहोवा की स्तुति के लिए पवित्र भेंट होगी। 25 तब, पाँचवें वर्ष तुम
उस पेड़ का फल खासकते हो और पेड़ का फल खा सकते हो और
पेड़ तुम्हारे लिए अधिक से अधिक फल पैदा करेगा। मैं तुम्हारा
परमेश्वर यहोवा हूँ!

26 "तुम्हें कोई चीज़, उसमें खून रहते तक नहीं खानी चाहिए।

“तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिये जादू या शगुन आदि का
उपयोग नहीं करना चाहिए।
27 “तुम्हें अपने सिर के बगल के बढ़े बालों कटवाना नहीं चाहिए.
तुम्हें अपनी दाढ़ी के किनारे नहीं कटवाने चाहिए। 28 किसी मरे
व्यक्ति की याद को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अपने शरीर
को काटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर कोई चिन्ह गुदवाना नहीं
चाहिए में यहोवा हूँ!

29 “तुम अपनी पुत्री को वेश्या मत बनने दै। इससे केवल यह
पता चलता है कि तुम उसका आदर नहीं करते। तुम अनपे देश में
स्त्रियों को वेश्याएँ मत बनने दो। तुम अपने देश को इस के पापों
से मत भर जानेदो।
30 “तुम्हें मेरे विश्राम के विशेष दिनों में काम नहीं करना चाहिए।
तुम्हें मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!

31 “ओझाओं तथा भूतसिद्धियों के पास सलाह के लिए मत
जाओ। उनके पास तुम मत जाओ, वे केवल तुम्हें अशुद्ध बनाएँगें।
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!”

32 “बूढ़े लोगों का सम्मान करो। जब वे कमरे में आएँ तो खड़े
हो जाओ। अपने परमेश्वर का सम्मान करो। मैं यहोवा हूँ!”

33 “अपने देश में रहने वला विदेशियों के साथ बुरा व्यवहार मत
करो! 34 तुम्हें विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जौ
तुम अपने नागरिकों के सात करते हो। तुम विदेशियों से वैसा प्यार
करो जैसा अपने से करते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी एक समय मिस्र
में विदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेशवर यहोवा हूँ!

35 “तम्हें न्याय करते समय लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
तुम्हें चीज़ों के नापने और तौलने में ईमानदार होना चाहिए।
36 तुम्हारि टोकरियाँ ठीक माप की होनी चाहिए। तुम्हारे नापने के
पात्रों में द्रव क ीउचित मात्रा आनी चाहिए। तुम्हारे तराज़ू और

तुम्हारेबाट चीज़ों को ठीक तौलने वाले होने चाहिए। मैं तुम्हारा
परमेश्वर यहोवा हूँ! मैं तुम्हें मिस्र देश से बहरा लाया!

37 "तुम्हें मेरे सभी नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और
तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!"

20

मूर्ति पूजा के विरूद्ध चेतावनी

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "तुम्हें इस्राएल के लोगों से यह भी
कहना चाहिए: तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति अनपे बच्चों में से किसी
को झूठे देवता मोलेक को दे सकता है। उस व्यक्ति को मार डालना
चाहिए। इससे अन्तर नहीं पड़ता कि वह इस्राएल का नागरि है या
इस्राएल में रहने वाला कोई विदेशी है, तुम्हें उस पत्थर फेंक फेंक
कर मार जालना चाहिए। 3 मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊँगा। मैं उसे
उसके लोगों से अलग करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को
मोलेक को दिया। उसने यह प्रकट किया कि वह मरे पवित्र नाम
का सम्मान नहीं करता। उसने मरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया।
4 सम्भव है साधारण लोग उस व्यक्ति की उपेक्षा करे। सम्भव है वे
उस व्यक्ति को न मारे जिसने बच्चों को मोलेक को दिया है। 5 किन्तु
मैं उस व्यक्ति और उसके परिवार के विरुद्ध होऊँगा। मैं उसे उसके
लोगों से अलग करुँगा मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके लोगों
से अलग करुँगा जो मेरे प्रति विश्वास नहीं रखता और मोलेक का
अनुसरण करता है।

6 "मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊँगा जो किसी ओझा और
भूतसिद्धि के पास सलाह के लिए जाता है। वह व्यक्ति मुझसे
विश्वासघात करता है। इसलिए मैं उस व्यक्ति को उसके लोगों से
अलग करूँगा।

7 "विशेष बनो। अपने को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र
हूँ! मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ! 8 मेरे आज्ञाओं का पान करो और

उन्हें याद रखो। मैं योहवा हूँ और मैंने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है।

9 "यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के अनिष्ट की कामना करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उसने अपने पिता या माँ का अनिष्ट चाहा है, इसलिए उसे दण्ड देना चाहिए।*

यौन पापों के दण्ड

10 "यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक सम्बन्ध के अपराधी हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार डालना चाहिए।
11 यदि कोई वयक्ति अपनी विमाता से यौन सम्बन्ध करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिओए। उस व्यक्ति को और उसकी विमाता दोनों को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है।†

12 "यदि कोई व्यक्ति अपनी पुओत्रवधू के साथ यौनसम्बन्ध करता है तो दोनों को मार डालना चचाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

13 "यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष के साथ स्त्री जैसा यौन सम्बन्ध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

14 "यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री और उसकी माँ के साथ यौन सम्बन्ध करता है तो यह यौन पाप है। लोगों को उस व्यक्ति तथा दोनों स्त्रियों को आग में जला देना चाहिए। इस यौन पाप को अपने लोगों में मत होने दो।

15 "यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से यौन सम्बन्ध करे तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए और तुम्हें उस जानवर को भी मार
देना चाहिए। 16 यदि कोई स्त्री किसी जानवर से यौन सम्बन्ध करती

* **20:9:** उसने … चाहिये शाब्दिक, "उसने अपनी मौत आप बुलाई है।" † **20:11:** उसने … चाहिये शाब्दिक, "उसने अपनी मौत आप बुलाई है।"

है तो तुम्हें अवश्य मार देना चाहिए। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

17 "यह एक भाई और उसकी बहन के लिए लज्जाजनक है कि आपस में वे यौन सम्बन्ध करे।‡ उन्हें सामाजिक रूप में दण्ड मिलना चाहिए। वे अपने लोगों से अलग कर दिए जाने चाहिए। वह व्यक्ति जिसने अपनी बहन के साथ यौन सम्बन्ध किया है, अपने पाप के लिए दण्ड पाएगा।

18 "यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिकधर्म के रक्त स्राव के समय यौन सम्बन्ध करेगा तो स्त्री पुरुष दोनों को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने पाप किया है क्योंकि उसने खून के स्रोत को उघाड़ा।

19 "तुम्हें योन स्म्बन्ध अपनी माँ की बहन या पिता की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। यह गोत्रीय अनैतिकता का पाप है।§ उन्हें उनके पाप के लिए दण्ड मिलागा।

20 "किसी पुरुष को अपने चाचा मामा की पत्नी के सात नहीं सोना चाहिए। ह व्यक्ति तथा उसकी चाची वे मामी को उनके पापों के लिए दण्ड मिलेगा. वे बिना किसी सन्तान के मरेंगे।

21 "किसी व्यक्ति के लिए यह बुरा है कि वह अपने भाई की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध करे। उस व्यक्ति ने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है।** उनकी कोई सन्तान नहीं होगी।

22 "तुम्हें मेरे सारे नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रदेश को ले जा रहा हूँ। तुम लोग उस प्रदेश में रहोगे। यदि तुम लोग मेरे नियमों और निर्णयों को मानते रहे तो वह प्रदेश तुम लोगों को निकाल बाहर
नहीं करेगा। 23 मैं अन्य लोगों को उस प्रदेश को छोड़ने के लिए
विवश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वे सभी पाप किए।

‡ **20:17:** आपस में यौन सम्बन्ध करे शाब्दिक, "वह उसकी नग्नता को देखता है और वह उसकी नग्नता को देखती हैं।" § **20:19:** गोत्रीय ... पाप है गोत्र के व्यक्तियों के यौन सम्बन्ध का पाप। ** **20:21:** उस व्यक्ति ... पाप किया है शाब्दिक "उस व्यक्ति ने अपने भाई की नग्नता को उघाड़ा हैं।"

मैं उन पापों से घृणा करता हूँ। इसलिए जिस प्रकाकर वे लोगग रहे,
उस तरह तुम नहीं रहोगे। 24 मैंने कहा है कि तुम उनका प्रदेश प्राप्त
करोगे। मैं उनका प्रदेश तुमको दूँगा। यह तुम्हार प्रदेश होगा। वह
प्रदेश बहुत सुन्दर है। उसमें दूध वे मधु की नदियाँ बहती हैं। मैं
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

"मैंने तुम्हें विशेष बनाया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्य लोगों से भिन्न
व्यवहार किया है। 25 इसलिए तुम्हें शुद्ध जानवरों के साथ अशुद्ध
जानवरों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें शुद्ध पक्षियों के साथ
अशुद्ध पक्षियों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। उन में से किसी भी
अशुद्ध पक्षी, जानवर और कीट पतंग को मत खाओ जो भूमि पर
रेंगते हैं। मैंने उन चीज़ों को अशुद्ध बनाया है। 26 मैंने तुम्हें अपना
विशेष जन बनाया है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए पवित्र होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ और मैं पवित्र हूँ!

27 "कोई पुरुष या कोई स्त्री जो ओझा हो या कोई भूतसिद्धि हो,
तो उन्हें निश्चय ही मार दिया जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे
उन्हें पत्थर मार मार कर मार दें। उन्हें मार ही दिया जाना चाहिए।"

21

याजकों के लिए नियम

1 यहोवा ने मूसा से कहा, "ये बातें हारून के याजक पुत्रों से कहो:
किसी मरे व्यक्ति को छूकर याजक अपने को अशुद्ध न करें। 2 किन्तु
यदि मरा हुआ व्यक्ति उसके नजदीकी सम्बन्धियों मेसे कोई है तो
वह मृतक के शरीर को छू सकता है। याजक अपने को अशुद्ध
कर सकता है यदि मृत व्यक्ति उसकी माँ, पिता, उसका पुत्र, या
पुत्री, उसका भाई, 3 उसकी अविवाहित बहन है। (यह बहन उसकी
नजदीकी है क्योंकि उसका पति नहीं है। इसलिए याजक अपने को

अशुद्ध कर सकता है, यदि वह मरती है।) 4 किन्तु याजक अपने को
अशुद्ध नहीं कर सकता, यदि मरा व्यक्ति उसके दासों में से एक हो।*
5 “याजक को शोक प्रकट करने के लिए अपने सिर का मुण्डन
नहीं कराना चाहिए। याजक को अपनी दाढ़ी के सिरे नहीं कटवाने
चाहिए। याजक को अपने शरीर को कहीं भी काटननना नहीं
चाहिए। 6 याजक को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए।
उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। क्यों क्योंकि
वे रोटी और आग द्वारा भेंट यहोवा को पहुँचाते हैं। इसलिए उन्हें
पवित्र होना चाहिए।
7 “याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इलिए
याजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने किसी
के साथ यौन सम्बन्ध किया हो। याजक जिसने किसी के साथ यौन
सम्बन्ध किया हो। याजक को किसी वेश्या, या किसी तलाक दी
गी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। 8 याजक परमेश्वर की सेवा
विशेष ढंग से करता है। इसलिए तुम्हें उसके साथ विशेष व्यवहार
करना चाहिए। क्यों क्योंकि वह पवित्र चीज़ें ले चलता है। वह पवित्र
रोटी यहोवा को पहुँचता है ले चलता है। वह पवित्र रोटी यहोवा
को पहुँचता है और मैं पवित्र हूँ। मैं यहोवा हूँ, और में तुम्हें पवित्र
बनाता हूँ।
9 “यदि याजक की पुत्री वेश्या बन जाती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा
नष्ट करती है तथा अपने पिता को कलंक लगाती है। इसलिए उसे
जला देना चाहिए।
10 “महायाज अपने भाईयों में से चुना जाता था। अभिषेक का
तेल उसके सिर उसके सिर पर डाला जाता था। इस प्रकार वह
माहायाजक के विशेष कर्त्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता था।
वह महायाजक के विशेष वस्त्र को पहनने के लिए चुना जाता था।
इसलिए उसे अपने दुःख को प्रकट करने वाला कोई काम समाज

* **21:4:** किन्तु … एक हों शाब्दिक, “किन्तु स्वामी को अपने लोगों के लिए अशुद्ध नहीं होना चाहिये।”

में नहीं करना चाहिए। उसे अपने बाल जंगली ढंग से नहीं बिखेरने
चाहिए। उसे अपने वस्त्र नहीं फाड़ने चाहिए। 11 उसे मुर्दे को छूकर
अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। उसे किसी मुर्दे के पास नहीं
जाना चाहिए। चाहे वह उसके अपने माता—पिता का ही क्यों न
हो। 12 महायाजक को परमेश्वर के पवित्र स्थान के बाहर नहीं जाना
चाहिए। यदि उसने ऐसा किया तो वह अशुद्ध हो जायेगा और तब
वह परमेश्वर के पवित्र स्थान को असुद्ध कर देगा। अभिषेक का
तेल महायाजक के सिर पर डाला जाता था। यह उसे शेष लोगों से
भिन्न करता था। मैं यहोवा हूँ!

13 "महायाजक को विवाह करके उसे पत्नी बनाना चाहिए जो
कुवाँरी हो । 14 महायाजक को ऐसी सत्री से विवाह नहीं करना
चाहिए जो किसी अन्य पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध रख चुकी हो।
महायजक को किसी वेश्या, या तलाक दी गई स्त्री, या विधवा
स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। महायाजक को अपने लोगों में
से एक कुवाँरी से विवाह करना चाहिए। 15 इस प्रकार लोग उसके
बच्चों को सम्मान देंगे। मैं, यहोवा ने, याजक को विशेष काम के लिए
भिन्न बनाया है।"

16 यहोवा ने मूसा से कहा, 17 "हारून से कहो: यदि तुम्हारे वंशजों
की सन्तानों में से कोई अपने में कोई दोष पाए तो उन्हें विशेष रोटी
परमेश्वर तक नहीं ले जानी चाहिए। 18 कोई व्यक्ति जिसमें कोई
दोष हो, याजक का काम न करे और न ही मरे पास भेंटट लाए, ये
लोग याजक के रूप में सेवा नहीं कर सकते: अन्धे व्यक्ति, लगंड़े
व्यक्ति, विकृत चेहरे वाले व्यक्ति, अत्यधिक लम्बी भुजा और टाँग
वाले व्यक्ति। 19 टूटे पैर या हाथ वाले व्यक्ति, 20 कुबड़े व्यक्ति,
बौने, आँख में दोष वाले व्यक्ति,। खुजली और चर्म रोग वाले व्यक्ति
बधिया किए गे नपुंसक व्यक्ति।

21 "यदि हारून के वंशजों मे से कोई कुछ दोष वाला है तो वह
यहोवा को आग से बलि नहीं चढ़ा सकता और वह व्यक्ति विशेष
रोटी अपने परमेश्वर को नहीं पहुँचा सकता। 22 वह व्यक्ति याजकों

के पिरवार से है अतः वह पवित्र रोचटी खा सकता है। वह अती
पवित्र रोटी बी खा सकता है। 23 किन्तु वह सबसे अधिक पवित्र
स्थान में पर्दे से होकर नहीं जा सकता और न ही वह वेदी के पास
जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस में कुछ दोष है। उसे मेरे पवित्र
स्थान को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। मैं यहोवा उन स्थानों को
पवित्र बनाता हूँ।"

24 इसलिए मूसा ने ये बातें हारून से, हारून के पुत्रों और इस्राएल
के सभी लोगों से कही।

22

1 परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 "हारून और उसके पुत्रों से
कहोः इस्राएल के लोग जो चीज़ें मुझे देंगे, वे पवित्र हो जाएंगी। वे
मेरी हैं। इसलिए तुम याजकों को वे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। यदि तुम
उन उन पवित्र चीज़ों का उपयोग करते हो तो तुम यह प्रकट करोगे
कि तुम मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ। 3 यदि
तुम्हारे सभी वंशजो में से कोई व्यक्ति उन चीज़ों को छूएगा तो वह
अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा। इस्राएल के
लोगों ने वे चीजें मुझे दीं। मैं यहोवा हूँ!

4 "यदि हारून के किसी वंशज को बुरे चर्म रोगों में से कोई रोग
हो या उससे कुछ रिस रहा हो तो वह तब तक पवित्र भोजन नहीं कर
सकता जब तक वह शुद्ध न हो जाए। यह नियम किसी भी याजक के
लिए है जो अशुद्ध हो। वह याजक किसी शव को छू कर या अपने
वीर्य पात से अशुद्ध हो सकता है। 5 वह तब अशुद्ध हो सकता है जब
वह किसी रेंगने वाले जानवर को छूए। वह तब अशुद्ध हो सकात है
जब वह किसी अशुद्ध व्यक्ति को छूए। इसका कोई महत्व नहीं कि
उस व्यक्ति को किस चीज़ ने अशुद्ध किया है। 6 यदि कोई व्यक्ति
उन चीज़ों को छूएगा तो वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति
को पवित्र भोजन में स् कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी डालकर

नहाये बिना वह पवित्र बोजन नहीं कर सकता है। 7 पवह सूरज
के डूबने पर ही शुद्ध होगा। तभी वह पवित्र भोजन कर सकता है।
क्यों? क्योंकि वह भोजन उसका है।

8 "यदि याजक को कोई ऐसा जानवर मिलता है जो स्वयं मर
गया हो या किसी अन्य जानवर द्वारा मार दिया गया हो तो उसे मरे
जानवर को नहीं खाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति उस जानवर को
खाता है तो वह अशुद्ध होगा। मैं यहोवा हूँ!

9 "याजक को मेरी सेवा के विशेष समय रखने होंगे। उन्हें उन
दिनों सावधान रहना होगा। उन्हें इस बात के लिए सावधान रहना
होगा कि वे पवित्र चीज़ों को अपवित्र न बनाएँ। यदि वे सावधान
रहेंगे तो मरेंगे नहीं। मैं यहोवा ने उन्हें इस विशेष काम के लिए
दूसरों से भिन्न किया है। 10 केवल याजकों के परिवार के व्यक्ति ही
पवित्र भोजन खा सकते हैं। याजक के साथ ठहरने वाला अतिथि
या मजदूर पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाएगा। 11 किन्तु यदि
याजक अपने धन से किसी दास को खरीदता है तो वह पवित्र चीज़ों
में से कुछ को खा सकता है और याजक केक घर में उत्पन्न दास
भी उस पवित्र भोजन में से कुछ खा सकता है। 12 किसी याजक की
पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो याजक न हो। यदि वह
ऐसा करती है तो पवत्र भेंट में से कुछ नहीं का सकती। 13 किसी
याजक की पुत्री विधवा हो सकती है, या उसे तलाक जासकता है।
यदि उके भरन पोषण के लिए उसके बच्चे नहीं हैं और वह अपने
पिता के यहाँ लौटती है, जहाँ वह बचपन में रही है तो वह पिता के
भोजन मेंस कुछ खा सकती है। किन्तु केवल याजक के परिवार के
व्यक्ति ही इस भोजन को खा सकते हैं।

14 "कोई व्यक्ति भूल से कुछ पवित्र भोजन खा सकता है। उस
व्यक्ति को वह पवित्र भोजन याजक को देना चाहिए और उसके
अतिरिक्त उस भोजन के मूल्य का पाँचवाँ भाग उसे और देना होगा।

15 "इस्राएल के लोग यहोवा को भेंट चढ़ाएँगे। वे भेटें पवित्र हो
जाती हैं। इसलिए याजक को उन पवित्र चीज़ों को अपवित्र नहीं

बनाना चाहिए। 16 यदि याजक उन चीज़ों को अपवित्र समझते हैं
तो वे तब अपने पाप को बढ़ाएँगे जब पवित्र भोजन को खाएँगे। मैं,
यहोवा उन्हें पवित्र बनाता हूँ!”

17 यहोवा ने मूसा से कहा, 18 “हारून और उसके पुत्रों, और
इस्राएल के सभी लोगों से कहो: सम्भव है कि इस्राएल का कोई
नागरिक या कोई विदेशी को ई भेंट लाना चाहे। सम्भव है उसने कई
विशेष वचन दिया हौ, और ह उसके लिए हो। या सम्भव है यह वह
विशेष भेंट हो जिसे वह व्यक्ति अर्पित करना चाहेता हो। 19-20 ये
ऐसी भेटें हैं जिन्हें लोग इसलिए लाते हैं कि वे यहोवा भेंट चढ़ाना
चहते हैं। तुम्हें कोई ऐसी भेंट नहीं स्वीकार करनी चाहिए जिसमें
कोई दोष हो। मैं उस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊँगा! यदि भेंट एक साँड़
है, या एक भेड़ है, या एक बकरा है तो वह नर होना चाहिए और
इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए।

21 “कोई वयक्ति यहोवा को मलेबलि चढ़ा सकता है। वह
मेलबलि उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी वचन के लिए भेंट के
रूप में हो सकती है या यह कोई स्वत: प्रेरित भेंट हो सकती है
जसे वह व्यक्ति यहोवा को चढ़ाना चाहता है। यह बैल या मेढ़ा हो
सकता है। किन्तु वह स्वस्थ तथा दोष रहित होना चाहिए। 22 तुम्हें
यहोवा कोऐसा कोई जानवर नहीं भेंट करना चाहिए जो अन्धा हो
या जिसकी हड्डियाँ टूटी हों, या जो लंगड़ा हो, या जिसका कोई घाव
रिस रहा हो या बुरे चर्म रोग वाला हो। तुम्हें यहोवा की वेदी की
आग पर उस बिमार जानवर की भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए।

23 “कभी कभी किसी मवेशी या मेमने के पैर अत्याधिक लम्बे हो
सकते हैं या ऐसे पैर हो सकते हैं जिनका विकास ठीक से न हुआ
हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को यहोवा को विशेष भेंट के
रुप में चढ़ाना चाहता है तो वह स्वीकार किया जाएगा। किन्तु इसे
किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन के लिए किये जाने वाले भुगतान
के रुप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

24 “यदि जानवर के अण्ड कोष जख्मी, कुचले हुए या फाड़े हूए
हों तो तुम्हें उस जानवर की भेंट यहोवा को नहीं चढ़ानी चाहिए।
25 “तुम्हें विदेशियों से बलि के लिए ऐसे जडानवरों को नहीं लेना
चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर किसी प्रकार चोट खाए हुए हैं।
उनमें कुच दोष है। ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे।”
26 यहोवा ने मूसा से कहा, 27 “जब को ई बछड़ा या भेड़ या बकरी
पैदा हो तो अपनी माँ के साथ उसे सात दिन रहने देना चाहिए। तब
आठवें दिन और उसके बाद यह जानवर यहोवा को आग द्वारा दी
जाने वाली बलि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 28 किन्तु तुम्हें
उसी दिन उस जानवर और उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए। यही
नियम गाय और भेड़ों के लिए है।
29 “यदि तुम्हें यहोवा को कोई विशेष कृतज्ञता बलि चढ़ानी हो
तो तुम उस भेंट को चढ़ाने में स्वतन्त्र हो । किन्तु यह इस प्रकार
करो कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करे। 30 तुम्हें पूरा जानवर उसी दिन
खा लेना चाहिए। तुम्हें अगली सुबह के लिए कुच भी माँस नहीं
छोड़ना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!
31 “मेरे आदेशों को याद रखो और उनका पालन करो। मैं यहोवा
हूँ! 32 मेरे पवित्र नाम का सम्मान करो! मुझे इस्राएल के लोगों के
लिए बहुत विशिष्ट होवा चाहिए। मैं, यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष
लोग बनाया है। 33 मैं तुम्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना।
मैं यहोवा हूँ!”

23

विशेष पवित्र दिन

1 यहोवा ने मूसा के कहा, 2 “इस्राएल के लोगों से कहोः तुम
यहोवा के निश्चित पर्वों को पवित्र घोषित करो। ये मेरे विशेष पवित्र
दिन है:

सब्त

3 "छः दिन काम करो। किन्तु सातवाँ दिन, आराम का एक विशेष
दिन या पवित्र मिलन का दिन होगा। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं
करना चाहिए। यह तुम्हारे सभी घरों में यहोवा का सब्त है।

फ़सह पर्व

4 "ये यहोवा के चुने हुए पवित्र दिन हैं। उनके लिए निश्चित समय
पर तुम पवित्र सभाओं की घोषणा करोगे। 5 यहोवा का फसह पर्व
पहले महीने की चौदह तारीख को सन्धया काल में प्रैंत: है।

अख़मीरी मैंदे के फुलकों का पर्व

6 "उसी महीने की पन्द्रह तारीख को अख़मीरी मैदे के फुलकों
का पर्व होगा। तुम सात दिन तक अखमीरी मैदे के फुलके खाओगे।
7 इस पर्व के पहले दिन तुम एक पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें
कोई काम नहीं करना चाहिए। 8 सात दिन तक तुम यहोवा को आग
द्वारा बलि चढ़ाओगे। सातवें दिन एक पवित्र सभा होगी। उस दिन
तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए।"

पहली फ़सल का पर्व

9 यहोवा ने मूसा से कहा, 10 "इस्राएल के लोगों से कहो: तुम उस
धरती पर जाओगे जिसे मैं तुम्हें दूँगा। तुम उसकी फ़सल काटोगे।
उस समय तुम्हें अपनी फ़सल की पहली पूली याजक के पास लानी
चाहिए। 11 याजक पूली को यहोवा के सामने उत्तोलित करेगा। तब
वह तुम्हारे लिए स्वीकार कर ली जाएगी। याजक पूली को रविवार
के प्रात: काल उत्तोनित करेगा।
12 "जिस दिन तुम पूली को उत्तोलित करो, उस दिन तुम एक वर्ष
का एक नर मेमना बलि चढ़ाओगे। उस मेमने में कोई दोष नहीं होना
चाहिए। वह मेमना यहोवा की होमबलि होगी। 13 तुम्हें चार क्वार्ट
अच्छे जैतून के तेल मिले आटे की अन्नबलि देनी चाहिए। तुम्हें एक
क्वार्ट दाखमधु भी देनी चाहिए। यह भेंट यहोवा को प्रसन्न करने
वाली सुगन्ध होगी। 14 जब तक तुम अपने परमेश्वर को भेंट नहीं

चढ़ाते, तब तक तुम्हें कोई नया अन्न, या फल या नये अन्न से बनी रोटी नहीं खानी चाहिए। यह नियम तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा।

सप्ताहों का पर्व

15 "उस रविवार के प्रातःकाल से (वह दिन जब तुम पूली उत्तोलन
भेंट के लिए लाते हो), सात सप्ताह गिनो। 16 सातवें सप्ताह के अगले
रविवार को (अर्थात् पचास दिन) बाद तुम यहोवा के लिए नये
अन्नबलि लाओगे। 17 उस दिन तुम अपने घरों से दो–दो रोटियाँ
लाओ। ये रोटियाँ उत्तोलन भेंट होगी। खमीर का उपयोग करो और
चार क्वार्ट आटे की रोटियाँ बनाओ। वह तुम्हारी पहली फसल से
यहोवा की भेंट होगी।

18 "लोगों से अन्नबलि के साथ में एक बछड़ा, दो मेढ़े और एक
एक वर्ष के सात नर मेमने भेंट किए जाएंगे। इन जानवरों में कोई
दोष नहीं होना चाहिए। ये यहोवा की होमबलि होंगे। वे आग द्वारा
यहोवा को दी गई भेंट होगी। इस की सुगन्ध से यहोवा प्रसन्न होगा।
19 तुम भी पापबलि के रूप में एक बकरा तथा एक वर्ष के दो मेमने
मेलबलि के रूप में चढ़ाओगे।

20 "याजक यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए दो मेमने
और पहल फ़सल की रोटी उन्हें उत्तोलित करेगा। वे यहोवा के
लिए पवित्र हैं। वे याजक के होंगे। 21 उसी दिन, तुम एक पवित्र
सभा बुलाओगे। तुम कोई काम नहीं करोगे। यह नियम तुम्हारे सभी
घरों में सदैव चलेगा।

22 "जब तुम अपने खेतों की फ़सल काटो तो खेतों के कोनों की
सारी फ़सल मत काटो। जो अन्न जमीन पर गिरे, उसे मत उठाओ।
उसे तुम गरीब लोगों तथा तुम्हारे देश में यात्रा करने वाले विदेशियों
के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!"

तुरही का पर्व

23 यहोवा ने मूसा से फिर कहा, 24 "इस्राएल के लोगों से कहो:
सातवें महीने के प्रथम दिन तुम्हें आराम का विशेष दिन मानना
चाहिए। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम्हें इसे मनाने के लिए
तुरही बजानी चाहिए। 25 तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम
यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाने के लिए बलि लाओगे।"

प्रायश्चित का दिन

26 यहोवा ने मूसा से कहा, 27 "सातवें महीने के दसवें दिन
प्रायश्चित्त का दिन होगा। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम भोजन
नहीं करोगे* और तुम यहोवा को आग द्वाराबलि चढ़ाओगे। 28 तुम
उस दिन कोई काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकी यह प्रायश्चित का
दिन है। उस दिन याजक यहोवा के सामने जाएगा और वह उपासना
करेगा जो तुम्हें सुद्ध बनाती है।

29 "यदि कोई व्यक्ति उस दिन उपवास करेन से मना करता है
तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। 30 यदि कोई व्यक्ति
उस दिन काम करेगा तो उसे मैं (परमेश्वर) उसके लोगों में से काट
दूँगा। 31 तुम्हें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह नियम तुम जहाँ
कहीं बी काम नहीं करना चाहिए। यह नियम तुम जहाँ कहीं भी रहो,
सदैव रहेगा। 32 यह तुम्हारे लिए आराम का विशे, दिन होगा। तुम्हें
भोजन नहीं करना चाहिए। तुम आराम के इस विशेष दिन को महीने
के नवें दिन की सन्ध्या† से आरम्भ करोगे। यह आराम का विशेष
दिन उस सन्ध्या से आरम्भ करके अगली सन्धया तक रहाता है।"

आश्रय का पर्व

33 यहोवा ने मूसा से फिर कहा, 34 "इस्राएल के लोगों से कहो:
सातवें महीने के पन्द्रहनवें दिन आश्रय का पर्व होगा। यहोवा के
लिए यह पवित्र सा दिन तक चलेगा। 35 पहले दिन एक धर्म सभा
होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए। 36 तुम सात दिनों

* **23:27:** भोजन नहीं करोगे शाब्दिक, "अपने को विनीत दिखाओगे।" † **23:32:** सन्ध्या यहूदी लोगों के लिए दिन का आरम्भ सन्ध्या से होता है।

तक यहोवा के लिए आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। आठवें दिन तुम दूसरी धर्म सभा करोगे। तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाआगे। यह एक धर्म सभा होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए।

37 "ये यहोवाच का विशेष पवित्र दिन है। उन दिनों धर्म सभाएँ होंगी। तुम यहोवा को होमबलि, अन्नबलि, बलियाँ, पेयबलि अग्नि
द्वारा चढ़ाओगे। तुम वे बलियाण ठीक समय पर लाओगे। 38 तुम
यहोवा के स्बत दिवसों को याद करने के अतिरिक्त उन पवित्र दिनोंका पर्व मनाओगे। तुम उन बलियों को यहोवा को अपनी अन्नबलि के अतिरिक्त दोगे। तुम विशेष दिए गे अपने वचन को पूरा करने के रूप में दी गई किसी भेंट के अतिरिक्त उन चीज़ों को दोगे। वे उन विशेष भेंटों के अतिरिक्ति होंगी जिन्हें तुम यहोवा को देना चाहते हो।

39 "सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन, जब तुम अपने खेतों से फसल ला चकोगे, सात दिन तक यहोवा का पर्व मनाओगे। तुम पहले और
आठवें दिन आराम करोगे। 40 पहले दिन तुम फलदार पेड़ों से अच्छे
फल लोगे और तुम नाले के किनारे के खजूर के पेड़, चीड़ और बेंत के पेड़ों से शाखाएँ लोगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सात
दिन तक पर्व मनाओगे। 41 तुम इस पवित्रदिन को हर वर्ष यहोवा
के लिए सात दिनों तक मनाओगे। यह नियम सदैव रहेगा। तुम इस
पवित्र दिन को सातवें महीने में मनाओगे। 42 तुम सात दिन तक
अस्थायी आश्रयों में रहोगे। इस्राएल में उत्पन्न हुए सबी लोग उन आश्रयों में रहोगे। इस्राएल में उत्पन्न हुए सभी लोग उन आश्रयों में
रहेंगे। 43 क्यों? इससे तुम्हारे सभी वंशज यह जानेंगे कि मैंने इस्राएल
के लोगों को अस्थायी आश्रयों में रहने वाला उस समय बनाया जिस समय मैं उन्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!"

44 इस प्रकार मूसा ने इस्राएल के लोगों को यहोवा के विशेष पवित्र दिनों के बारे में बताया।

24

दीपाधार और पवित्र रोटी

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “इस्राएल के लोगों को कोल्हू से
निकाला हुआ जैतून का शुद्ध तेल अपने पास लाने का आदेश दो।
वह तेल दीपकों के लिए है। ये दीपक बिना बुझे जलते रहने चाहिए।
3 हारून यहोवा के मिलापवाले तम्बू में साक्षीपत्र के पर्दे के आगे
सन्ध्या समय से प्रातःकाल तक दीपकों को जलाये रखेगा। यह
नियम सदा सदा के लिए है। 4 हारून को सोने की दीपाधार पर
यहोवा के सामने दीपकों को सैव जलता हुआ रखना चाहिए।

5 “अच्छा महीन आटा लो और उसकी बारह रोटियाँ बनाओ।
हर एक रोटी के लिए चारि क्वार्ट आटे का उपयोग करो। 6 उन्हें दो
पँक्तियों में सुनहरी मेज़ पर यहोवा के सामने रखो। हर एक पँक्ति में
छ: रोटियाँ होंगी। 7 हर एक पँक्ति पर शुद्ध लोबान रखो। यह यहोवा
को आग द्वारा दी गई भेंट के सम्बन्ध में यहोवा को याद दिलाने
में सहायता करेगा। 8 हर एक सब्त दिवस को हारून रोटियों को
यहोवा के सामने क्रम में रखेगा। इसे सदैव करना चाहिए। इस्राऐल
के लोगों के साथ यह वाचा सदैव बनी रहेगी। 9 वह रोटी हारून
और उसके पुत्रों की होगी। वे रोटियों को पवित्र स्थान में खायेंगे।
क्यों?क्योंकि वह रोटी यहोवा को आग द्वारा चढ़ाई गी भेंटों में से
है। वह रोटी सदैव हारून का हिस्सा है।”

वह व्यक्ति जिसने यहोवा को शाप दिया

10 एक इस्राएली स्त्री का पुत्र था। उसका पिता मिस्री था।
इस्राएली स्त्री का यह पुत्र इस्राएली था। वह इस्राएली लोगों के बीच
में घूम रहा था और उसने डेरे में लड़ना आरम्भ किया। 11 इस्राएली
स्त्री के लड़के ने यहोवा के नाम के बारे मं बुरी बातें कहनी शुरू
कीं। इसलिए लोग उस पुत्र को मूसा के सामने लाए। (लड़के की
माँ का नाम शलोमीत था जो दान के परिवार समूह से दिब्री की पुत्री
थी।) 12 लोगों ने लड़के को कैदी की तरह पकड़े रखा और तब तक

प्रतीक्षा की, जब तक यहोवा का आदेश उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो गया।
13 तब यहोवा ने मूसा से कहा, 14 "उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाओ, जिसने शाप दिया है। तब उन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शा देते सुना है। वे लोग एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग अपने हाथ उसके सिर पर रखेंगे।* और तब सभी लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उसे मार डालेंगे।
15 तुम्हें इस्राएल के लोगों से कहना चाहिए: यदि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को शाप देता है तो उस व्यक्ति को दण्ड मिलना चाहिए।
16 कोई व्यक्ति, जो यहोवा के नाम के विरुद्ध बोलता है, अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को उसे पत्थर मारने चाहए। विदेशी को वैसे ही दण्ड मिलना चाहिए जैसे इस्राएल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति योहवा के नाम को अपश्ब्द कहता है तो उसे अवश्य मार देना चाहिए।
17 "और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए।
18 यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जानवर को मार डालता है तो उसके बदले में उसे दसूरा जानवर देना चाहिए।†
19 "यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में किसी को चोट पहुँचाता है तो वसन व्यक्ति को उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुँचानी चाहिए।‡
20 एक टूटी हड्डी के लिए एक टूटी हड्डी, एक आँख के लिए एक आँख, और एक दाँत के लिए दाँत। उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुँचानी चाहिए, जैसा उसने दूसरे को पहुँचाई है।
21 इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जानवर को मारे तो

* **24:14:** हाथ … रखेंगे इससे पता चलता है कि वे सब लोग उस लड़के को दण्ड देने में हाथ बटा रहे थे। † **24:18:** दूसरा … चाहिये शाब्दिक, "इसके लिए भुगतान करो, जीवन के लिये जीवन।" ‡ **24:19:** यदि … चाहिये यह नियम समाज को अपराधों का दण्ड निश्चित करने के लिए एक दिशा निर्देश देता है। निजी रुप से बदला लेने की अपेक्षा अपराध के अनुरुप दण्ड समाज को निश्चित करना है।

इसके बदनले में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए। किन्तु जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है वह अवश्य मार डाला जाना चाहिए।

22 "तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का न्याया होगा। यह विदेशी और तुम्हारे अपने देशवासी के लिए समान होगा। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।"

23 तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से बात की और वे उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्तान पर लाए, जिसने शाप दिया था। तब उन्होंने उस पत्थरों से मार डाला। इस प्रकार इस्राएल के लोगों ने वह किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

25

भूमि के लिए आराम का समय

1 यहोवा ने मूसा से सीनै पर्वत पर कहा। यहोवा ने कहा,
2 "इस्राएल के लोगों से कहो, तुन लोग उस भूमि पर जाओगे जिसे
मैं तुमको दे रहा हूँ। उस समय तुम्हें भूमि को आराम का विशेश
समय देना चाहिए। यह यहोवा को सम्मान देने के लिए धरती के
आराम का विशेष समय होगा। 3 तुम छ: वर्ष तक अपने खेतों में
बीज बोओगे। तुम अपने अंगूर के बागों में छः वर्ष तक कटाई
करोगे और उसके फल लाओगे। 4 किन्तु सातवें वर्ष तुम उस भूमि
को आराम करने दोगे। यह यहोवा को सम्मान देने के लिए आराम
का विशेष समय होगा। तुम्हें अपने खेतों में बीज नहीं बोना चाहिए
और अँगूर के बागों में बेलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। 5 तुम्हें
उन फ़सलों की कटाई नहीं करनी चाहिए जो फ़सल काटने के बाद
अपने आप उगती है। तुम्हें अपनी उन अँगूर की बेलों से अँगूर नहीं
उतारने चाहिए जिनकी तुमने कटाई नहीं की है। यह भूमि के विश्राम
का वर्ष होगा।

6 “यह भूमि के विश्राम का वर्ष होगा, किन्तु तुम्हारे पास फिर
भी पर्याप्त भोजन रहेगा। तुम्हारे पुरुष व स्त्री दासों के लिए पर्याप्त
भोजन रहेगा। मज़दूरी पर रखे गए तुम्हारे मजदूर और तुम्हारे देश में
रहने वाले विदेशियों के लिए भोजन रहेगा। 7 तुम्हारे मवेशियों और
अन्य जानवरों के खाने के लिए पर्याप्त चारा होगा।

जुबली मुक्ति वर्ष

8 “तुम सात वर्षों के सात समूहों को गिनोगे। ये उन्नचास वर्ष
होंगें। इस समय के भीतर भूमि के लिए सात वर्ष आराम के होंगे।
9 प्रायश्चित के दिन तुम्हें मेढ़े का सींग बजाना चाहिए। वह सातवें
महीने के दसवें दिन होगा। तुम्हें पूरे देश मं मेढ़े का सींगा बजाना
चाहिए। 10 तुम पचासवें वर्ष को विशेष वर्ष मनाओगे। तुम अपने
देश रहने वाले सभी लोगों की स्वतन्त्रता घोषित करोगे। इस समय
को “जुबली मुक्तिवर्ष” कहा जाएगा। तुममें से हर एक को उसकी
धरती लौटा दी जाएगी।* और तुममें से हर एक अपने परिवार में
लौट जाएगा। 11 पचासवाँ वर्ष तुम्हारे लिए विशेष उत्सव का वर्ष
होगा। उस वर्ष तुम बीज मत बोओ। अपने आप उगी फसल न
काटो। अँगूर की उन बलों से अँगूर मत लो। 12 वह जुबली वर्ष है।
यह तुम्हारे लिए पवित्र समय होगा। तुम उस पैदावार को खाओगे
जो तुम्हारे खेतों से आती है। 13 जुबली वर्ष में हर एक व्यक्ति को
उसकी धरती वापस हो जाएगी।

14 “किसी व्यक्ति को अपनी भूमि बेचन में मत ठगो और जब
तुम उससे भूमि खरीदो तब उसे अपने को मत ठगने दो। 15 यदि
तुम किसी की भूमि खरीदना चाहते हो तो पिछले जुबली से काल
गणना करो और उस गणना का उपयोग धरती का ठीक मूल्य तय

---

* **25:10:** धरती लौटा दी जाएगी इस्राएल में भूमि परिवारों और परिवार समूहों की थी। कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेच सकता था, किन्तु जुबली के समय वह भूमि फिर उसी परिवार या सयुक्त परिवार की हो जाती थी जिसे वह सर्वप्रथम दी गई थी।

करने के लिए करो। यदि तुम भूमि को बेचो, तो फसलों के काटने
के वर्षों को गिनो और वर्षों की उस गणना का का उयोग ठीक
मूल्य तय करने के लिए करो। 16 यदि अधिक वर्ष हैं तो मूल्य ऊँचा
होगा। यदि वर्ष थोड़े हैं तो मूल्य कम करो। क्यों? क्योंकि वह
व्यक्ति तुमको सचमुच कुछ वर्षों की कुछ फसलें ही बेच रहा है।
अगली जुबली पर भूमि उसके परिवारों की हो जाएगी। 17 तुम्हें एक
दूसरे को ठगना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने परमेश्वर का सम्मान करना
चाहिए। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ!

18 “मेरे नियमों और निर्णयों को याद रखो। उनका पालन करो।
तब तुम अपने देश में सुरक्षित रहोगा। 19 भूबमि तुम्हारे लिए उत्तम
फ़सल पैदा करेगी। तब तुम्हारे पास बहुत अधिक भोजन होगा और
तुम अपने प्रदेश में सुरक्षित रहोगे।

20 “किन्तु कदाचित तुम यह कहो, ‘यदि हम बीज न बोए या
अपनी फ़सलें न इकट्ठी करें तो सातवें वर्ष हम लोगों के लिए खाने
को कुछ भी नहीं रहेगा।’ 21 चिन्ता मत करो। मैं छठे वर्ष में अपनी
आशीष को तुम्हारे पास आने का आदेश दूँगा। भूमि तीन वर्ष तक
फ़सल पैदा करती रहेगी। 22 जब आठवें वर्ष तुम बोओगे तब तक
फसल पैदा करती रहेगी। तुम पुरानी पैदावार को नवें वर्ष तक खाते
रहोगे जब आठवें वर्ष बोयी हुई फ़सल घरों में आ जाएगी।

आवासीय भूमि के नियम

23 “भूमि वस्तुत: मेरी है। इसलइए तुम इसे स्थायी रूप में नहीं
बेच सकते। तुम मेरे साथ मेरी भूमि पर केवल विदेशी और यात्री
के रूप में रह रहे हो। 24 कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेच सकता है,
किन्तु उसका परिवार सदैव अपनी भूमि वापस पाएगा। 25 कोई
व्यक्ति तुम्हारे देश में बहुत गरीब हो सकात है। वह इतना गरीब हो
सकता कि उसे अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़े। ऐसी हालत में उसके
नजदीकी रिश्तेदारों को आगे आना चाहिए और अपने रिश्तेदार

के लिए वह सम्पत्ति वापस खरीदनी चाहिए। 26 किसी व्यक्ति का
कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार नहीं भी हो सकता है जो उसके लिए
सम्पत्ति वापस खरीदे। कुन्तु हो सकता है वह स्वयं भूमि को वापस
खरीदने के लिए पर्याप्त धन पा ले। 27 तो उसे जब से भूमि बिकी थी
तब से वर्षों को गिनना चाहिए। उसे उस गणना का उपयोग, भूमि
का मूल्य निश्चित करने के लिए करना चाहिए। तब उसे भूमि को
वापस खरीदना चाहिए। तब भूमि फिर उसकी हो जाएगी। 28 किन्तु
यदि वह व्यक्ति अपने लिए भूमि को वापस खरीदने के लिए पर्याप्त
धन नहीं जुटा पाता तो जो कुछ उसने बेचा है वह स व्यक्ति के हाथ
में जिसने उसे खरीदा है, जुबली पर्व के आने के हाथ में जिसने उसे
खरीदा है, जुबली पर्व के आने तक रहेगा। तब उस विशेष उत्सव
के समय भूमि प्रथम भूस्वामी के परिवार की हो जाएगी। इस प्रकार
सम्पत्ति पुन: मूल अधिकारी परिवार की हो जाएगी।

29 "यदि कोई व्यक्ति नगर परकोटे के भीतर अपना घर बेचता
है तो घर के बेचे जाने के बाद एक वर्ष तक उसे वापस लेने का
अधिकार होगा। घर को वापस लेने का उसका अधिकार एक वर्ष
तक रहेगा। 30 किन्तु यदि घर का स्वामी एक पूरा वर्ष बीतने के
पहले अपना घर वापस नहीं खरीदता है उसका और इसके वंशजों
का हो जाता है। जुबली के समय प्रधम गृह स्वामी को वापस नहीं
होगा। 31 बिना परकोटे वाले नगर खुले मैदान माने जाएंगे। अत: उन
छोटे नगरों में बने हुए घर जुबली पर्व के समय प्रथम गृहस्वामि को
वापस होंगे।

32 "किन्तु लेवियों के नगर के बारे में: जो नगर लेवियों के अपने
हैं, उनमें वे अपने घरों को किसी बी समय वापस खरीद सकते हैं।
33 यदि कोई व्यक्ति लेवी से कोई घर खरीदे तो लेवीयोंके नगर का
वह घर फिर जुबली पर्व के समय लेवियों का हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि लेवी नगर के घर लेवी के परिवार समूह के लोगों के हैं।
इस्राएल के लोगों ने उन नगरों को लेवी लोगों को दिया। 34 लेवी

नगरों के चारों ओर के खेत और चरागाह बेचे नहीं जा सकते। वे
खेत सदा के लिए लेवियों के हैं।

दासों के स्वमियों के लिए नियम

35 “सम्भवत: तुम्हारे देश का कोई व्यक्ति इतना अधिक गरीब
होत जाए कि अपना भरण पोषण न कर सके। तुम उसे एक अतिथि
की तरह जीवित रखोगे। 36 उसे दिए गए अपने कर्ज पर कोई सूद
मत लो। अपने परमेश्वर का सम्मान करो और अपने भाई को अपने
साथ रहने दो। 37 उसे सूद कपर पैसा उधार मत दो। जो भोजन
वह करे, उस पर कोई लाभ लेने का प्रयत्न मत करो। 38 मैं तुम्हारा
परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से कनान प्रदेश देने और तुम्हारा
परमेश्वर बनने के लिए बाहर लाया।

39 “सम्भवत: तुम्हारा कोई बन्धु इतना गरीब हो जाय कि वह
दास के रूप में तुम्हें अपने को बेच। तुम्हें उससे दास की तरह काम
नहीं लेना चाहिए। 40 वह जुबली वर्ष तक मजदूर और एक अतिथि
की तरह तुम्हारे सात रहेगा। 41 तब वह तुम्हें छोड़ सकता है। वह
अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकता है और अपने पिरवार में
लौट सकता है। वह अपने पूर्वजों की सम्पत्ति को लौटा सकता है।
42 क्यों? क्योंकि वे मेरे सेवक हैं। मैंने उन्हें मिस्र की दासता से मुक्त
किया। वे फिर दास नहीं होने चाहिए। 43 तुम्हें ऐसे व्यक्ति पर क्रूरता
से शासन नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने परमेश्वर का सम्मान करना
चाहिए।

44 “तुम्हारे दास दासियों के बारे में: तुम अपे चारों ओर के अन्य
राष्ट्रों से दास दासियाँ ले सकते हो। 45 यदि तुम्हारे देश में रहिने
वले विदेशियों के परिवारों के बच्चे तुम्हारे पास आते हैं तो तुम
उन्हें भी दास रख सकते हो। वे बच्चे तुम्हारे दास होंगे। 46 तुम इन
विदेशी दासों को अपने बच्चों को भी दे सकते हो जो तुम्हारे मरने के
बाद तुम्हारे बच्चों के होंगे। वे सदा के लिए तुम्हारे दास रहेंगे। तुम

इन विदेशियों को दास बना सकते हो। किन्तु तुम्हें अपने भाईयों, इस्राएल के लोगों पर क्रूरता से शासन नहीं करना चाहिए।

47 "सम्भव है कि कोई विदेशी यात्री या अतिथि तुम्हारे बीच धनी
हो जाय। सम्भव है कि तुम्हारे देश का कोई व्यक्ति इतना गरीब हो
जाय कि वह अपने को तुम्हारे बीच रहने वाले किसी विदेशी या
विदेशी या विदेशी परिवार के सदस्य को दास के रूप में बेचे। 48 वह
व्यक्ति वापस खरीदे जाने और स्वतन्त्र होने का अधिकारी होगा।
उसके भाईयों में से कोई भी उसे वास खरीद सकता है 49 अथवा
उसके चाचा, मामा वे चचेरे, ममेरे भाई उसे वापस खरीद सकते
हैं या उसके नजदीकी रिश्तेदारों में से उसे कोई खरीद सकता है
अथवा यदि व्यक्ति पर्याप्त धन पाता है तो स्वयं धन देकर वह फिर
मुक्त हो सकता है।

50 "तुम उसका मूल्य कैसे निश्चित करोगे? विदेशी के पास जब से
उसने अपने को बचा है तब से अगली जुबली तक के वर्षों को तुम
गिनोगे। उस गणना का उपयोग मूल्य निश्चित करने में करो। क्यों?
क्योंकि वस्तुत: उस व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए उसे 'मजदूरी' पर
रखा। 51 यदि जुबली के वर्ष के पूर्व कई वर्ष हो तो व्यक्ति को
मूल्य का बड़ा हिस्सा लौटाना चाहिए। यह उन वर्षों की संख्या
पर आधारित है। 52 यदि जुबली के वर्ष तक कुछ ही वर्ष शेष हो
तो व्यक्ति को मूल कीमत का थोड़ा सा भाग ही लौटाना चाहिए।
53 किन्तु वह व्यक्ति प्रति वर्ष विदेशी के यहाँ मजदूर की तरह रहेगा,
विदेशी को उस व्यक्ति पर क्रूरता से शासन न करने दो।

54 "वह व्यक्ति किसी के द्वारा वापस न खरीदे जाने पर भी मुक्त
होगा। जुबली के वर्ष वह तथा उसके बच्चे मुक्त हो जाएंगे। 55 क्यों?
क्योंकि इस्राएल के लोग मेरे दास हैं। वे मेरे सेवक हैं। मैंने मिस्र की
दासता से उन्हें मुक्त किया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

26

परमेश्वर की आज्ञा पालन का पुरस्कार

1 “अपने मूर्तियाँ मत बनाओ। मूर्तियाँ या यादगार के पत्थर
स्थापित मत करो। अपने देश में उपासना करने के लिए पत्थर की
मूर्तियाँ स्थापित न करो। क्यों कियोंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
हूँ!

2 “मेरे आराम के विशेष दिनों को याद रखो और मेरे पवित्र स्थान
का सम्मान करो। मैं यहोवा हूँ!

3 “मेरे नियमों और आदेशों को याद रखो और उनका पालन कोर।
4 यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं जिस समय वर्षा आनी चाहिए, उसी
समय वर्षा कराऊँगा। भूमि फ़सलें पैदा करेंगी और पेड़ अपने फवल
देंगे। 5 तुम्हारा अनाज निकालने का काम तब तक जलेगा जब तक
अँगूर इकट्ठा करने का समय आएगा और अँगूर का इकट्ठा करना
तब तक चलेगा जब तक बोने का समय आएगा। तब तुम्हारे पास
खाने के लिए बहुत होगा, और तुम अपने प्रदेश में सुरक्षित रहोगे। 6 में
तुम्हारे देश को शान्ति दूँगा। तुम शान्ति से सो सकोगे। कोई वयक्ति
भयभीत करने नहीं आएगा। मैं विनाशकारी जानवरों को तुम्हारे देश
से बाहर रखूँगा। और सेनाएँ तुम्हारे देश से नहीं गुजरेंगी।

7 “तुम अपने शत्रुओं को पीछा करके भाओगे और उन्हें रहाओगे।
तुम उन्हें अपनी तलवार से मार डालोगे। 8 तुम्हारे पाँच व्यक्ति सौ
व्यक्तियों को पीछा कर के भगाएंगे और तुम्हारे सौ व्यक्ति हजार
व्यक्तियों का पीछा करेंगे। तुम अपने शुत्रओं को हराओगै और उन्हें
तलवार से मार डालोगे।

9 “तब मेंम तुम्हारी ओर मुड़ूँगा मैं तुम्हें बहुत से बच्चों वाला
बनाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा का पालन करूँगा। 10 तुम्हारे
पास एक वर्ष से अधिक चलने वाली पर्याप्त पैदावार रहेगी। तुम
नयी फसल काटोगे। किन्तु तब तुम्हें पुरानी पैदावार नयी पैदावार

के लिए जगह बनाने हेतुत फेंकनी पड़ेगी। [11] तुम लोगों के बीच मैं
अपना पवित्र तम्बू रखूँगा। मैं तुम लोगों से अलग नहीं होऊँगा। [12] में
तुम्हारे साथ चलूँगा [13] और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ तुम मिस्र में
दास थे। किन्तु में तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। तुम लोग दास के रूप
में भारी बोझ ढोने से झुके हुए थे किन्तु मैंने तुम्हारे कंधों के जुंए
को तोड़ फेंका। मैंने तुम्हें पुन: गर्व से चलने वाला बनया।

योहवा की आज्ञा पालन न करने के लिए दण्ड

[14] "किन्तु यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और मरे ये
सब आदेश नहीं मानोगे तो ये बुरी बातें होंगी। [15] यदि तुम मेरे नियमों
और आदेशों को मानना अस्वीकार करते हो तो तुमने मेरी वाचा
को तोड़ दिया है। [16] यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करूँगा कि
तुम्हारा भयंकर अनिष्ट होगा। मैं तुमको असाध्य रोग और तुम्हारा
जीवन ले लेंगे। जब तुम अपने बीज बोओगे तो तुम्हें सफलता नहीं
मिलेगी। तुम्हारी पैदावार तुम्हारे शुत्र खाएंगे। [17] मैं तुम्हारे विरुद्ध
होऊँगा, अत: तुम्हारे शत्रु तुमको हराएँगे। वे शत्रु तुमसे घृणा करेंगे
और तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम तब भी भागोगेष जब तुम्हारा
पीछा कोई न कर रहा होगा।

[18] "यदि इस के बाद भी तुम मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हो तो
मैं तुम्हारे पापों के लिए सात गुना अधिक दण्ड दूँगा। [19] मैं उन बड़े
नगरों को भी नष्ट करूँगा जो तुम्हें गर्वीला बनाते हैं। आकाश वर्षा
नहीं देगा और धरती पैदावार नहीं उत्पन्न करेगी।* [20] तुम कठोर
परिश्रम करोगा, किन्तु इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी भूमि में
कोई पैदावार नहीं होगी और तुम्हारे पेड़ों पर फल नहीं आएंगे।

[21] "यदि तब बी तुम मेरे विरुद्ध जाते हो और मेरी आज्ञा का पालन
करना अस्वीकार करते हो तो मैं सात गुना कठोरता से मारूँगा।

---

* **26:19:** आकाश ... करेगी शाब्दिक, "तुम्हारे लिए आकाश लोहा सा होगा और भूमि काँसे जैसी।"

जितना अधिक पाप करोगे उतना अधिक दण्ड पाओगे। 22 मैं तुम्हारे
विरुद्ध जंगली जानवरों को भेजूँगा। वे तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले
जाएगें। वे तुम्हारे मवेशियों को नष्ट करेंगे। वे तुम्हारी संख्या बहुत
कम कर देंगे। लोग यात्रा करने से भय खाएंगे, सड़कें खाली हो
जाएंगी!

23 "यदि उन चीज़ों के होने पर भी तुम्हें सबक नहीं मिलता और
तुम मेरे विरुद्ध जाते हो, 24 तो मैं तुम्हारे विरुद्ध होऊँगा। मैं, हाँ, मैं
(यहोवा), तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें सात गुना दण्ड दूँगा। 25 तुमने
मेरी वाचा तोड़ी है, अतः मैं तुम्हें दण्ड दूँगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध सेनाएँ
भेजूँगा। तुम सुरक्षा के लिए अपने नगरों में जाओगे। किन्तु मैं ऐसा
करूँगा कि तुम लोगों में बीमारियाँ फैलें। तब तुम्हारे शत्रु तुमहे
हराएंगे। 26 मैं उस नगर में छोड़े गे अन्न का एक भाग तुम्हें दूँगा।
किन्तु खाने के लिए बहुत कम अन्न रहेगा। दस स्त्रियाँ अपनी सभी
रोटी एक चूल्हे में पका सकेंगी। वे रोटी के हर एक टुकड़े को
नापेंगी। तुम खओगे, किन्तु फिर भी भूखे रहोगे!

27 "यदि तुम इतने पर भी मरी बातें सुनना अस्वीकार करते
हो, और मेरे विरुद्ध रहते हो 28 तो मैं वस्तुत: अपना क्रोध प्रकट
करूंगा! मैं, हाँ, मैं (यहोवा) तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए सात गुना
दण्ड दूँगा। 29 तुम अपने पुत्र पुत्रियों के शरीरों को खाओगे। 30 मैं
तुम्हारे ऊँचे स्थानों को नष्ट करूँगा। मैं तुम्हारी सुगन्धित वेदियों
को काट डालूँगा। मैं तुम्हारे शवों को तुमहारी निर्जीव मूर्तियों के
शवों पर डालूँगा। तुम मुझको अत्यन्त घोनौने लगोगे। 31 मैं तुम्हारे
नगरों को नष्ट करूँगा। मैं ऊँचे पवित्र स्थानों को खाली कर दूँगा। मैं
तुम्हारी भेंटों की मधुर सुगन्ध को नहीं लूँगा। 32 मैं तुम्हारे देश को
इतना खाली कर दूँगा की तुम्हारे शत्रु तक जो इसमें रहने आएंगे, वे
इस पर चकित होंगे। 33 और मैं तुम्हें विभिन्न प्रदेशों में बिखेर दूँगा। मैं
अपनी तलवार खीचूँगा और तुम्हें नष्ट करूँगा। तुमहारी भूमि ख़ाली

हो जाएगी और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे।
34 "तुम अपने शत्रु के देशों में ले जाये जाओगे। तुमहारी धरती
खाली हो जायेगी और वह अंत में उस विश्राम को पायेगी। 35 जिसे
तुमने उसे तब नहीं दिया था जब तुम उस पर रहते थे। 36 बचे हुए
व्यक्ति अपने शत्रुओं के देश में अपना साहस खो देंगे। वह हर चीज
से भयभीत होंगे। वह हवा में उड़ती पत्ती की तरह चारोंम ओर
भागेंगें। वे ऐसे भागेंगे मानों कोई तलवरा लिए उनका पीछा कर
रहा हो। 37 वे एक दूसरे पर तब भी गिरेंगे जब कोई भी उनका पीछा
नहीं कर रहा होगा।

"तुम इतने शक्तिशाली नहीं रहोगे कि अपने शत्रुओं के मुकाबले
खड़े रह सको। 38 तुम अन्य लोगों मेम विलीन हो जाओगे। तुम
अपने शत्रुओं के देश में लुप्त हो जाओगे। 39 इस प्रकार तुमहारी
सन्तानें तुम्हारे शत्रुओं के देश में अपने पापों में सड़ेंगी। वे अपने
पापों में ठीक वैसे ही सड़ेंगी जैसे उनके पूर्वज सड़े।

आशा सदा रहती है

40 "सम्भव है कि लोग अपने पाप स्वीकार करें और वे अपने
पूर्वजों के पापों को सवीकार करेंगे। सम्भव हे वे यह स्वीकार करें
कि वे मेरे विरुद्ध हुए सम्भव है वे यह स्वीकार करें कि उन्होंने मेरे
विरुद्ध पाप किया है। 41 सम्भव है कि वे स्वीकार करें कि मैं उनके
विरुद्ध हुआ और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में लाया। उन लोगों ने
मेरे साथ अजनबी का सा व्यवहार किया। यदि वे विनम्र† हो जाएं
और अपने पापों के लिए दण्ड स्वीकर करें 42 तो मैं याकूब के साथ
के अपनी वचा को याद करूँगा। इसहाक के साथ के अपनी वाचा
को याद करुँगा। इब्राहिम के साथ की गी वाचा को मैं याद करूँगा
और मैं उस भूमि को याद करूँगा।

43 "भूमि खाली रहेगी। भूमि आराम के साय का आनन्द लेगी।
तब तुम्हारे बचे हुए लोग अपने पाप के लिए दण्ड स्वीकार करेगें।

† **26:41:** उन लोगो ... विनम्र शाब्दिक, "यदि वे अपने खतनारहित हृदय को विनम्र करें।"

वे सीखेंगे कि उन्हें इसलिए दण्ड मिला कि उन्होंने मेर व्यवस्था से
घृणा की और नियमों का पालन करना अस्वीकार किया। 44 उन्होंने
सचमुच पाप किया। किन्तु यदि वे मेरे पास सहायता के लिए आते
हैं तो मैं उनसे दूर नहीं रहूँगा। मैं उनकी बातें तब भी सुनूँगा जब वे
अपने शत्रुओं के देश में भी होगें। मैं उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करूँगा।
मैं उके साथ अपनी वाचा को नहीं तोड़ूँगा। क्यों? क्योंकि में उनका
परमेश्वर यहोवा हूँ। 45 मैं उनके पूर्वजों के साथ की गी वाचा को
याद रखूँगा। मैं उनके पूर्वजों को इसलिए मिस्र स् बाहर लाया कि मैं
उका परमेश्वर हो सकूँ। दूसरे राष्ट्रों ने उन बातों को देखा। मैं यहोवा
हूँ।”

46 येवे विधियाँ, नियम और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें यहोवा ने इस्राएल
के लोगों को दिया। वे नियम इस्राएल केके लोगों और यहोवा के
बीज वाचा है। यहोवा ने उन नियमों को सीनै पर्वत पर दिया था।
उसने मूसा को नियम दिए और मूसा ने उन्हें लोगों को दिया।

27

वचन महत्वपूर्ण हैं

1 यहोवा ने मूसा से कहा, 2 “इस्राएल के लोगों से कहो: कोई
व्यक्ति यहोवा को विशेष वचन दे सकता है। वह व्यक्ति यहोवा को
किसी व्यक्ति को अर्पित करने का वचन दे सकता है। वह व्यक्ति
यहोवाक की सेवा विशेष ढंग से करेगा। याजक उस व्यक्ति के
लिए विशेष मूल्य निश्चित करेगा। यदि लोग उसे यहोवा से वापस
खरीदना चाहते हैं तो वे मूल्य देंगे। 3 बीस से साठ वर्ष तक की
आयु के पुरुष का मूल्य पचास शेकेल चाणदी होगी। (तुम्हें चाँदी
को तोलने के लिए पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग
करना चाहिए।) 4 बीस से साठ वर्ष की आयु की स्त्री का मूल्य तीस
शेकेल है। 5 पाँच से बीस वर्ष आयु के पुरुष का मूल्य बीस शेकेल
है। पाँच से बीस वर्ष आयु की स्त्री का मूल्य दस शेकेल है। 6 एक

महीने से पाँच महीने तक के बालक का मूल्य पाँच शेकेल है। एक
बालिका का मूल्य तीन शेकेल है। 7 साठ या साठ से अधिक आयु
के पुरूष का मूल्य पन्द्रह शेकेल है। एक स्त्री का मूल्य दस शेकेल
है।
8 "यदि व्यक्ति इतना गरीबत है कि मूल्य देने में असमर्थ है तो
उस व्यक्ति को याजक के सामने लाओ। याजक यह निश्चित करेगा
कि वह व्यक्ति कितना मूल्य भुगता में दे सकता है।

यहोवा को भेंट

9 "कुछ जानवरों का उपयोग यहोवा की बलि के रूप में किया जा
सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन जानवरों में से किसी को लाता है तो
वह जानवर पवित्र हो जाएगा। 10 वह व्यक्ति यहोवा को उस जानवर
को देने का वचन देता है। इसलिए उस व्यक्ति को उस जानवर के
स्थान पर दूसरा जानवर रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे
अच्छे जानवर को बुरे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। उसे बुरे
जानवर को अच्छे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वह व्यक्ति
दोनों जानवरों को बदलना ही चाहता है तो दोनों जानवर पवित्र हो
जाएगें। दोनों जानवर यहोवा के हो जाएंगे।
11 "कुछ जानवर यहोवा को बलि के रूप में नहीं भेंट किए जा
सकेत। यदि कोई व्यक्ति उन अशुद्ध जानवरों में से किसी को यहोवा
के लिए लाता है तो वह जानवर याजक के सामने लाया जाना
चाहिए। 12 याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा। इससे कोई
जानवर नहीं कहा जाएगा कि वह जानवर अच्छा है या बूरा, यदि
याजक मूल्य निश्चित कर देता है तो जानवर का वही मूल्य है। 13 यदि
व्यक्ति जानवर को वापस खरीदना चाहता है।* तो उसे मूल्य में
पाँचवाँ हिस्सा और जोड़ना चाहिए।

---

* **27:13:** वापस खरीदना चाहता है पहलौठा बच्चे या जानवर यहोवा को दिये जाते थे। किन्तु गधों की तरह बच्चों की बलि नहीं दी जाती थी। इस प्रकार व्यक्ति प्रथम उत्पन्न को याजक को देता था। याजक मूल्य निश्चित करता था, और व्यक्ति प्रथम उत्पन्न को धन या बलि चढ़ाने योग्य जानवर से वापस खरीद लेता था। देखें निर्गमन 13:1-16

यहोवा को भेंट किए गए मकान का मूल्य

14 “यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को पवित्र मकान के रूप में
यहोवा को अर्पित करता है तो याजक को इसका मूल्य निश्चित
करना चाहिए। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मकान अच्छा है
या बुरा, यदि याजक मूल्य निश्चित करता है तो वही मकान का मूल्य
है। 15 किन्तु वह व्यक्ति जो मकान अर्पित करता है यदि उसे वापस
खरीदना चाहता है तो उसे मूल्य में पाँचवाँ हिस्सा जोड़ना चाहिए।
तब घर उस व्यक्ति का हो जाएगा।

भूसम्पत्ति का मूल्य

16 “यदि कोई व्यक्ति अपने खेत का कोई भाग यहोवा को अर्पित
करता है तो उन खेतों का मूल्य उनको बोने के लिए आवश्यक
बीज पर आधारित होगा। एक होमेर जौ के बीज की कीमत चाँदी
के पचास शेकेल होगी। 17 यदि व्यक्ति जुबली के वर्ष खेत का दान
करता है तब मूल्य वह होगा जो याजक निश्चित करेगा। 18 किन्तु
व्यक्ति यदि जुबलि का बाद खेत का दान करता है तो याजक को
वास्तविक मूल्य निश्चित करना चाहिए। उसे अगले जुबली वर्ष तक
के वर्षों को गिनना चाहिए। तब वह उस गणना का उपयोग मूल्य
निश्चित करे के लिए करेगा। 19 यदि खेत दान देने वाला व्यक्ति खेत
को वापस खरीदना चाहे तो उसके मूल्य में पाँचवाँ भाग और जोड़ा
जाएगा। 20 यदि वह व्यक्ति खेत को वापस नहीं खरीदता है तो खेत
सदैव याजकों का होगा। यदि खेत किसी अन्य को बचा जाता है तो
पहलपा व्यक्ति उसे पापस नहीं खरीद सकता। 21 यदि व्यक्ति खेत
को वापस नहीं खरीदता है तो जुबली के वर्ष खेत केवल यहोवा
के लिए पवित्र रहेगा। यह सदैव याजकों का रहेगा। यह उस भूमि
की तरह होगा जो पूरी तरह यहोवा को दे दी गई हो।

22 “यदि कोई अपने खरीदे खेत को यहोवा को अर्पित करता
है जो उसकी निजी सम्पत्ति[†] का भाग नहीं है। 23 तब याजक को

[†] **27:22:** निजी सम्पत्ति अर्थात् वह भूमि जो उसके परिवार या उसके परिवार समूह को दी गई हो।

चुबली के वर्ष तक वर्षों को गिनना चाहिए और खेत का मूल्य
निश्चित करना चाहिए। तब वह खेत योहवा का होगा। 24 जुबली के
वर्ष वह खेत मूल भूस्वामी के पास चला जाएगा। वह उस पर्वार
को जाएगा जो उसका स्वामी है।
25 "तुम्हें पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग उन मूल्यों
को अदा करने के लिए करना चाहिए। पवित्र स्थान के प्रामाणिक
शेकेल का तोल बीस गेरा‡ है।

जानवरों का मूल्य

26 "लोग मवेशियों और भेड़ों को यहोवा को दान दे सकते हैं,
किन्तु यदि जानवर पहलौठा है तो वह जानवर जनम से ही यहोवा
का है। इसलिए लोग पहलौठा जानवर का दान नहीं कर सकते।
27 लोगों को पहलौठा जानवर यहोवा को देना चाहिए। किन्तु यदि
पलौठा जानवर अशुद्ध है तो व्यक्ति को उस जानवर को वापस
खरीदना चाहिए। याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा और
व्यक्ति को उस मूल्य का पाँचवाँ भाग उसमें जोड़ना चाहिए। यदि
व्यक्ति जानवर को वापस नहीं खरीदता तो याजक को अपने निश्चित
किए गाए मूल्य पर उसे बेच देना चाहिए।

विशेष भेंटें

28 "एक विशेष प्रकार की भेट है जिसे लोग योहवा को चढ़ाते
हैं। वह भेंट पूरी तरह यहोवा की है। वह भेंट न तो वापस खरीदी जा
सकती है न ही बेची जा सकती है। वह भेंट यहोवा की है। उस प्रकार
की भेटें ऐसे लोग, जानवर और खेत हैं, जो परिवार की सम्पत्ति है।
29 यदि वह विशेष प्रकार की योहवा को भेंट कोई व्यक्ति है तो
उसे वापस खरीदा नहीं जा सकता। उसे अवश्य मार दिया जाना
चाहिए।
30 "सभी पैदावारों का दसवाँ भाग यहोवा का है। इसमें खेतों,
फसले और पेड़ों के फल सम्मिलित हैं। वह दसवाँ भाग यहोवा

‡ **27:25:** बीस गेरा 1/50 औंस।

का है। 31 इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपना दसवाँ भाग वापस लेना
चाहता है तो उसेक मूल्य का पाँचवाँ भाग उसमें जोड़ना चाहिए
और वापस खरीदना चाहिए।

32 "याजक व्यक्तियों के मवेशियों और भेड़ों में से हर दसवाँ
जानवर लेगा। हर दसवाँ जानवर यहोवा का होगा। 33 मालिक को
यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि वह जानवर अच्छा है या बुरा।
उसे जानवर को अन्य जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वह
बदलने का निश्चय करता है तो दोनों जानवर यहोवा के होंगे। वह
जानवर वापस नहीं खरीदा जा सकता।"

34 ये वे आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने सीनैं पर्वत पर मूसा को दिये।
ये आदेश इस्राएल के लोगों के लिए हैं।

पवित्र बाइबल
The Holy Bible, Easy Reading Version, in Hindi

copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: हिंदी (Hindi)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSIONTM © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSIONTM." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

2019-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 8 Sep 2021 from source files dated 18 Aug 2021

7f0fcd5b-bc85-55f6-933a-0de82e7ef275